

अग्रिमों के प्रबंधन पर मास्टर परिपत्र - शहरी सहकारी बैंक

विषय-वस्तु	
क्रम सं.	विवरण
1	प्रस्तावना
2	कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
3	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
4	ऋण प्रशासन
5	ऋण सूचना की रिपोर्टिंग / आदान-प्रदान
6	अग्रिमों की पुनर्चना से संबन्धित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश
7	विशिष्ट ऋण गतिविधियाँ
8	यूसीबी द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई
9	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) हेतु ऋण
10	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले राहत उपायों पर दिशा निर्देश
अनुबंध-1 मुख्य तथ्य विवरण	
अनुबंध-2 संपत्तियों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश - मूल्यांकनकर्ताओं को पैनल में शामिल करना	
अनुबंध-3 सुरक्षा उपाय - स्वर्ण / चांदी के आभूषण गिरवी रखने के बदले में अग्रिम	
अनुबंध-4 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यूसीबी द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश	
परिशिष्ट - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	

1. प्रस्तावना

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से यह अपेक्षा की गई है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ऋण सीमा संबंधी मानदंडों और विभिन्न अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्यकलाप की प्रत्येक बृहत श्रेणी के संबंध में अपने बोर्ड के अनुमोदन द्वारा ऋण वितरण के लिए पारदर्शी नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूसीबी की ऋण नीति स्वीकृत आंतरिक जोखिम-वहन क्षमता को दर्शाती है और मौजूदा नियमों के अनुरूप बनी हुई है, इसकी वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी।

2. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

2.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर उधारकर्ताओं की, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र से ₹1 करोड़ तक निधि आधारित कार्यशील पूंजीगत सीमा की और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की जिन्हें ₹5 करोड़ तक निधि आधारित पूंजीगत सीमा की आवश्यकता है, कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त (टर्नओवर) के आधार पर किया जाए।

2.2 इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन अनुमानित आवर्त के 25% के आधार पर किया जाना चाहिए जिसे उधारकर्ता और यूसीबी के बीच इस तरह बांटा जाना चाहिए कि आवर्त का 5% निवल कार्यशील पूंजी (एनडब्ल्यूसी) के रूप में उधारकर्ता का अंशदान हो तथा यूसीबी आवर्त का कम से कम 20% वित्तपोषण प्रदान करें। अनुमानित आवर्त की व्याख्या उत्पाद शुल्क सहित "सकल बिक्री" के रूप में करें।

2.3. यूसीबी अपने विवेक से अनुमानित आवर्त के आधार पर आधारित या पारंपरिक पद्धति से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि पारंपरिक उत्पादन / अभिसंस्करण चक्र पर आधारित ऋण आवश्यकता अनुमानित आवर्त के आधार पर किए गए मूल्यांकन से अधिक हो तो उसे ही स्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उधारकर्ता को उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त का कम से कम 20% वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए। अनुमानित वार्षिक आवर्त का आकलन वार्षिक लेखा विवरण या बिक्री / राजस्व प्राधिकारियों को प्रस्तुत विवरणियों जैसे अन्य प्रलेखों के आधार पर किया जाए। भुगतान न किए गए शेयरों को घटाने के बाद शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित आहरण शक्ति के आधार पर वास्तविक आहरण के लिए अनुमति दी जाए।

2.4 ऋण सीमा में से आहरण की अनुमति, तथापि, सामान्य सुरक्षा उपायों के अनुसार होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है। यूसीबी को मासिक स्टॉक, प्राप्य माल आदि विवरणों का उधारकर्ता द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण और ऐसे विवरणों का वास्तविक स्टॉक की तुलना में आवधिक सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।

2.5 सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर उधारकर्ताओं के संबंध में जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से ₹1 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और ऐसी लघु उद्योग इकाइयां जिन्हें निधि आधारित कार्यशील पूंजी

सीमा की ₹5 करोड़ से अधिक की आवश्यकता है, यूसीबी उधारकर्ता की ऋण आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी आवश्यकता निर्धारित करे। यूसीबी टर्नओवर पद्धति, कैश बजटिंग पद्धति या अन्य कोई पद्धति अपनाए जो आवश्यक है। यद्यपि शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि अंतर्देशीय ऋणगत बिक्री के वित्तपोषण के लिए उधारकर्ताओं को मंजूर की गई सीमा बही ऋण वित्त के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। ऋण बिक्री के बकाया 25 प्रतिशत के लिए बिलों के मार्फत वित्तपोषण प्रदान किया जाए ताकि बिक्री के वित्तपोषण के लिए बिलों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3. बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली

3.1 बैंकिंग प्रणाली से ₹10 करोड़ रुपये और अधिक ऋण सीमाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में सामान्यतः ऋण घटक का न्यूनतम स्तर 80% तथा शेष नकद घटक होना चाहिए। यूसीबी यदि चाहें तो नकदी ऋण घटक को 20% से बढ़ाकर या ऋण घटक को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर, जैसी भी स्थिति हो, कार्यशील पूंजी के गठन में परिवर्तन कर सकते हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नकदी और नकदी प्रबंधन पर ऐसे निर्णयों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजीगत वित्त को दोनों घटकों का समुचित रूप से मूल्यन करें।

3.2 ₹10 करोड़ रुपये से कम कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के मामले में यूसीबी 'नकदी ऋण घटक' की तुलना में 'ऋण घटक' पर कम ब्याज दर लगाने का प्रोत्साहन देकर उन्हें ऋण प्रणाली के लिए राजी कर सकते हैं। इन मामलों में ऋण घटकों का वास्तविक प्रतिशत यूसीबी अपने उधारकर्ता ग्राहक के साथ तय कर सकते हैं।

3.3 तदर्थ ऋण सीमा

उधारकर्ताओं की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूसीबी तदर्थ/अतिरिक्त ऋण देने पर तभी विचार कर सकते हैं जब उधारकर्ता ने मौजूदा ऋण सीमा का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया हो। इस संबंध में बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में, [दिनांक 21 अगस्त 2020 के परिपत्र डीओएस.के.का.पीपीजी.बीसी.1/11.01.005/2020-21](#) के माध्यम से यह दोहराया गया है कि यूसीबी से अपेक्षित है कि वे समग्र विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवधिकता पर एक विस्तृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखें और इसका सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, ऋण सुविधाओं का समय पर एवं व्यापक समीक्षा/नवीकरण, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, और यूसीबी को बिना उचित कारणों के तदर्थ/लघु समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के बारंबारता और आवर्ती से बचना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम/प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित और साथ ही तदर्थ/लघु समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण से संबंधित सभी डेटा को कैप्चर करें और जब कभी किसी ऑडिट या लेखा परीक्षकों/आरबीआई द्वारा निरीक्षण करते हुए आवश्यक हो तो प्रस्तुत करें। इसके अलावा, ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से यूसीबी के समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए।

3.4 कार्यशील पूंजी वित्त का बंटवारा

संघद्वारा प्रत्येक बैंक के अंश का स्तर एकल / उधारकर्ता समूह के लिए स्वीकृत ऋण सीमा संबंधी मानदंडों द्वारा संचालित होगा।

3.5 ब्याज दर

'ऋण घटक' और 'नकदी ऋण घटक' के लिए बैंकों को अलग - अलग उधार दर लगाने की अनुमति दी गई है।

3.6 ऋण की अवधि

कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए ऋण की न्यूनतम अवधि यूसीबी उधारकर्ताओं से परामर्श करके तय कर सकते हैं। यूसीबी उधारकर्ता की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न परिपक्वता के आधार पर ऋण घटक को विभाजित कर सकते हैं और रोलओवर की अनुमति दे सकते हैं।

3.7 निर्यात ऋण

निर्यात ऋण सीमा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में ऋण और नकदी ऋण घटकों में कार्यशील पूंजी सीमा का विभाजन निर्यात ऋण सीमा (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर) को घटाने के बाद किया जाएगा।

3.8 बिल सीमा

3.8.1 अंतर्देशीय बिक्री के लिए बिल सीमा "ऋण घटक" में से ही ली जानी चाहिए। बिल सीमा में तीसरे पक्ष के चेकों / बैंक ड्राफ्टों की खरीद सीमा भी शामिल है। यूसीबी इस बात से आश्वस्त हो लें कि बिल सीमा का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

3.8.2 कार्यशील पूंजी की आवधिक समीक्षा के लिए यूसीबी नीतिगत दिशा निर्देश बनाए तथा इनका कड़ाई से पालन करें।

4. ऋण प्रशासन

4.1 ब्याज दर

शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधियों की लागत तथा लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उधार दरें तय करने की अनुमति दी गई थी। यद्यपि, यूसीबी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दरें पारदर्शी हों तथा सभी ग्राहकों को ज्ञात हों। यूसीबी के लिए यह भी अनिवार्य था कि वे अपनी शाखाओं में अग्रिमों पर ली जाने वाली न्यूनतम और उच्चतम ब्याज दर प्रदर्शित करें। हालांकि ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है फिर भी एक खास सीमा से अधिक ब्याज दरें सूदखोरी जैसी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा वे न तो कारगर होंगी और न ही सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुरूप। यूसीबी के निदेशक मंडल इस संबंध में आंतरिक

सिद्धांत तथा क्रियाविधि तय करें। कम मूल्य के ऋणों विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों तथा इसी प्रकार के अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और क्रियाविधि तय करते समय यूसीबी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें:

(i) ऐसे ऋण स्वीकृत करने के लिए पूर्वानुमोदन की उचित प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिसमें भावी उधारकर्ता के अन्य पहलुओं के साथ-साथ उसकी ऋण चुकाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) यूसीबी द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के अनुसार यथोचित जोखिम प्रीमियम शामिल करना चाहिए। साथ ही, जोखिम निर्धारित करते समय जमानत होने या न होने तथा उसके मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए।

(iii) उधारकर्ता पर पड़ने वाले कुल लागत का भार जिसमें किसी ऋण पर लगाए गया ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, को यूसीबी द्वारा उस ऋण को देने में आई कुल लागत तथा उस आय की सीमा की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होनी चाहिए जो जाहिर है कि लेनदेन से सृजित होगी और उसे हिसाब में लिया जाए।

(iv) यूसीबी यह सुनिश्चित करें कि छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में किसी खाते में नामे (डेबिट) किया गया कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 5 एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाए।

(v) ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों सहित उनकी ब्याज दर की यथोचित उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए जिसे यथासमय सार्वजनिक रूप से प्रचारित भी किया जाए।

(vi) फोरक्लोजर प्रभार / अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड –शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड लगाने की अनुमति नहीं है।

(vii) यूसीबी को [15 अप्रैल 2024 को जारी 'ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण \(केएफएस\)'](#) पर जारी परिपत्र में निहित निदेशों का पालन करना होगा (परिपत्र में दिया गया केएफएस का प्रारूप अनुबंध-1 में शामिल है)।

4.1.2 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

ईएमआई आधारित फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत ऋणों की मंजूरी के समय, यूसीबी को उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की अवधि के दौरान बेंचमार्क दर में संभावित वृद्धि के परिदृश्य में, अवधि को बढ़ाने और/अथवा ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरूम/मार्जिन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, यूसीबी को सूचित किया जाता है कि वे [18 अगस्त 2023 के परिपत्र विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24](#) में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए ईएमआई आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने के

लिए एक उपयुक्त नीति ढांचा तैयार करें। परिपत्र के कार्यान्वयन से संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट आरबीआई वेबसाइट के एफएक्यू खंड में अपलोड किया गया है।

4.2 अनापत्ति प्रमाणपत्र

शहरी सहकारी बैंकों को मौजूदा वित्तपोषक बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऐसे किसी भी उधारकर्ता को वित्तपोषण प्रदान नहीं करना चाहिए जो पहले से ही किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाएं ले रहा हो।

4.3 चालू खाते खोलना

4.3.1 चालू खातों को खोलते समय एनपीए स्तरों में कमी के लिए ऋण अनुशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूसीबी को चाहिए कि वे:

- (i) खाताधारक से इस आशय की घोषणा करने का आग्रह करें कि वह अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा नहीं ले रहा है अथवा उससे एक घोषणा लें जिसमें उसके द्वारा अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं का ब्योरा दिया गया हो।
- (ii) यह पता करें कि क्या वह किसी अन्य सहकारी सोसायटी/बैंक का/की सदस्य है; यदि हां, उसका पूरा ब्योरा जैसे सोसायटी/बैंक का नाम, धारित शेयरों की संख्या, ऋण सुविधाओं का ब्योरा जैसे प्रकार, मात्रा, बकाया, देयता की तिथियां आदि प्राप्त की जानी चाहिए।

4.3.2 यदि उधारकर्ता पहले से ही अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / सहकारी बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा ले रहा/रही है तो चालू खाता खोलने वाले यूसीबी को उधार देने वाले संबंधित बैंक / बैंकों को विधिवत इसकी सूचना देनी चाहिए तथा उनसे विशेष रूप से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने का आग्रह करना चाहिए। किसी ऐसे संभावित ग्राहक के मामले में जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाएं लेने वाला एक कारपोरेट अथवा बड़ा उधारकर्ता हो तो बैंकों को यदि सहायता संघ के अंतर्गत हो तो सहायता संघ (कन्सोर्टियम) के नेता तथा यदि बहुल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हो तो संबंधित बैंकों को सूचित करना चाहिए। यदि किसी सहकारी बैंक/सोसायटी से कोई सुविधा ली गई है तो यूसीबी के लिए यह आवश्यक है कि वह सदस्यता तथा उधार के संबंध में संबंधित राज्य सहकारी सोसायटियां अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं का पालन करे।

4.3.3 यदि एक पखवाड़े के न्यूनतम समय के बाद मौजूदा बैंकों से कोई उत्तर न मिले तो यूसीबी भावी खाताधारकों के चालू खाते खोल सकते हैं। यदि उत्तर एक पखवाड़े के भीतर प्राप्त हो जाता है तो यूसीबी को उस भावी ग्राहक के बारे में संबंधित बैंक द्वारा दी गई सूचना के संदर्भ में स्थिति का जायजा लेना चाहिए और तब बैंकों के ग्राहक की सच्ची स्वतंत्रता तथा बैंक द्वारा ग्राहक की आवश्यक समुचित सावधानी के अनुरूप उनके लिए औपचारिक रूप से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगना अनिवार्य नहीं है।

4.4 सनदी लेखापालों द्वारा गैर - निगमित उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन

सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कतिपय गैर कंपनीसंस्थाओं के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र एवं लाभ - हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत करना अधिदेशात्मक है। ऐसे उधारकर्ता चूंकि सनदी लेखापाल द्वारा उनकी बहियों की लेखा परीक्षा के आधार पर आयकर प्राधिकारियों को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यूसीबी को बड़ी ऋण सीमा प्राप्त उधारकर्ताओं से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह करना चाहिए।

4.5 उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देनदारियों के भुगतान में चूक

यूसीबी यह सुनिश्चित करे कि ऋण सुविधाएं प्राप्त करनेवाले उधारकर्ता द्वारा भविष्य निर्वाह निधि और उसी प्रकार की अन्य देनदारियां तत्परता से चुकाई जाती हैं। सांविधिक देनदारियों का भुगतान न करना किसी भी औद्योगिक इकाई की आरंभिक रूग्णता के लक्षण हैं। अतः ऐसी देनदारियों की चुकौती को उच्च प्राथमिकता देना उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के हित में होगा। ऐसी देनदारियों की बकाया राशि की चुकौती के लिए उधारकर्ता से विशिष्ट कार्यक्रम का आग्रह करने के अलावा यूसीबी निधि के निर्गमन पर यथोचित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को अपने आवेदन फार्म में ऋण सुविधाओं की मंजूरी / नवीकरण / नकदीकरण के लिए एक उचित घोषणा शामिल करनी चाहिए ताकि उसमें सांविधिक देनदारियों के बारे में खुलासा सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी उधारकर्ताओं और गैर कंपनी उधारकर्ताओं के संबंध में सांविधिक देनदारियों की राशि सामान्यतः उनके वार्षिक लेखाओं में प्रतिबिंबित होती है। यदि लेखापरीक्षित लेखाओं से सांविधिक देनदारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो इस प्रयोजन के लिए सनदी लेखापाल के विशिष्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

4.6 अग्रिमों की मंजूरी

4.6.1 ऋण की मंजूरी में अनियमितताएं / खामियां

धोखाधड़ी के अवसरों को कम करने के लिए यूसीबी को विवेकपूर्ण शक्तियों से अधिक अग्रिम मंजूर करने और / या यथोचित मूल्यांकन बिना ऋण मंजूर करने जैसी अनियमित प्रथाओं से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए।

4.6.2 अधिकारों का प्रत्यायोजन

- (i) अग्रिम और व्यय की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल को शाखा प्रबंधकों और प्रधान कार्यालय के स्तर पर अन्य अधिकारियों के साथ-साथ अध्यक्ष को विशिष्ट अधिकार देने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्तियों का प्रयोग निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाता है एवं किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना प्रधान कार्यालय की शीघ्र दी जाती है इसप्रकार की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- (ii) आंतरिक निरीक्षकों को निरीक्षण के दौरान यह पता करना चाहिए कि अधिकारों का प्रयोग उचित ढंग से किया गया है और अधिकारों के अनधिकृत प्रयोग की सूचना प्रधान कार्यालय को दी गई है। उसी प्रकार, प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कार्यपालकों द्वारा विवेकपूर्ण शक्तियों से परे मंजूरी के मामलों की सूचना निदेशक मंडल को दी गई है।

4.6.3 मौखिक मंजूरी

विभिन्न स्तरों के उच्च अधिकारियों को अग्रिमों की मंजूरी मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा देने की अनुचित प्रथा से बचना चाहिए।

4.6.4 विचलन का उचित रिकार्ड रखना

4.6.4.1 अत्यावश्यक होने पर ही, जहां टेलीफोन पर स्वीकृति देना /उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक अनुदेश देने या विवेकपूर्ण शक्तियों से परे स्वीकृति अपरीहार्य हो वहां निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए।

(i) मंजूरीकर्ता / वितरणकर्ता अधिकारियों को ऐसी स्वीकृति दिए जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए अनुदेशों / मंजूरी का रेकार्ड रखना चाहिए।

(ii) वितरणकर्ता अधिकार को एक सप्ताह / पक्ष के अंदर सक्षम मंजूरकर्ता अधिकारी की लिखित पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(iii) विवेकपूर्ण शक्तियों के अंदर दी गई मंजूरी की भी सूचना निर्धारित समय में प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए और प्रधान कार्यालय को ऐसी विवरणी की प्राप्ति का सावधानीपूर्वक अनुवर्तन करना चाहिए।

(iv) प्रधान कार्यालय को विवरणों /विवरणियों की बारीकी से संवीक्षा करनी चाहिए तथा गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, यदि वे अनधिकृत रूप से मंजूरी देने के दोषी पाए जाएं तो, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

4.6.4.2 अधिकारियों को दी गई शक्तियों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए और ऋण एवं अग्रिम मंजूर करने के लिए अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और दोषियों को समुचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

4.7 ऋण खातों में निगरानी कार्य

4.7.1 स्वीकृति-पश्चात निगरानी

4.7.1.1 यूसीबी की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहे और बैंक निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करे / निधि प्रवाह की निगरानी करे। अतः यूसीबी के लिए यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे कि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों से किया गया आहरण उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है।

4.7.1.2 ऋणों और अग्रिमों का स्वीकृति पश्चात अनुवर्तन कारगर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंधक, गिरवी आदि के रूप में उधारकर्ता से प्राप्त की गई जमानत से छेड़छाड़ न की जाए और वह पर्याप्त हो।

4.7.1.3 जहां खाते अनर्जक आस्तियां बनने के लक्षण दिखाई देते हैं

यदि खाते अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने के लक्षण दिखाने लगे हों, ऐसे मामलों में यूसीबी सुरक्षा के और कड़े उपाय करें। इस प्रकार के मामलों में यूसीबी उधारकर्ताओं के गोदामों के सतत निरीक्षणों के जरिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि बिक्री प्राप्तियां यूसीबी में उधारकर्ता के खातों के माध्यम से की जाती हैं तथा दृष्टिबंधक के स्थान पर स्टॉक के रूप में गिरवी के लिए आग्रह किया जाता है।

4.7.1.4 समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर आहरण की मंजूरी केवल प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में भी सीमा की मात्रा और उसकी आवश्यकता की पूर्ण संवीक्षा और आवधिक संवीक्षा की जानी चाहिए। यूसीबी को समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर बैंकर/चेक /भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट तब तक जारी नहीं करने चाहिए (जब तक कि उनकी राशि नहीं वसूली जाती और पार्टों के खातों में जमा नहीं कर दी जाती) या उधारकर्ता जिनके खाते जो पहले से ही अतिआहरित हैं या ऐसे लिखतों के जारी करने से जिनके अतिआहरित होने की संभावना है।

4.7.1.5 समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर आहरणों को सामान्यतः बैंक ड्राफ्ट और सरकारी चेकों तक और तीसरे पक्षकार के चेकों को सीमित मात्रा तक मर्यादित रखना चाहिए।

4.7.1.6 जिन चेकों की जमानत पर आहरण की अनुमति दी गई है उनसे वास्तविक व्यापार लेनदेन प्रतिबिंबित होना चाहिए और चेकों, बिलों आदि के निभाव पर कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए।

4.7.2 उत्तरदायित्व

4.7.2.1 निधियों के दुरुपयोग को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूसीबी के प्रबंध तंत्र की है। अतः शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा करें और उसे चुस्त दुरूस्त बनाएं ताकि निधियों के दुरुपयोग / विशाखन और अनाचार को दूर किया जा सके।

4.7.2.2 यूसीबी को स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अन्य अनाचारी कृत्यों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कृत्य करनेवाले स्टाफ को अनियमितता की गंभीरता के अनुरूप दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में बैंक द्वारा जांच को शीघ्र निपटाना और कठोर दंड देना आवश्यक होगा।

4.8 अग्रिमों की वार्षिक समीक्षा

अग्रिमों की कारगर निगरानी के लिए यूसीबी के लिए यह आवश्यक है कि वे अग्रिमों की समीक्षा नियमित आधार पर करते रहें। परिचालक की गुणवत्ता, निधियों की सुरक्षा आदि का मूल्यांकन करने के समीक्षा के उद्देश्य के अलावा समीक्षा में उपलब्ध अद्यतन डाटा के आधार पर उधारकर्ता की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के मूल्यांकन का विशिष्ट प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या ऋण सीमा जरूरत आधारित आवश्यकताओं के अंदर है और यूसीबी के निर्धारित उधार संबंधी मानदंडों के अनुसार है।

4.9 संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल

यूसीबी द्वारा स्वाधिकृत निर्धारित आस्तियों तथा अपने अग्रिम संविभाग के एक बड़े हिस्से के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत आस्तियों के सही और वास्तविक मूल्यन का मुद्दा यूसीबी की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की सही गणना पर उसके प्रभावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गया है। अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि अनुबंध-2 में दिए गए अनुसार निर्धारित आस्तियों के वास्तविक मूल्यन के लिए तथा मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए एक प्रणाली / प्रक्रिया स्थापित करें।

4.10 निधियों का अन्यत्र प्रयोग

शहरी सहकारी बैंकों के पास निधियों के अंत्य उपयोग की निगरानी करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब कभी उन्हें निधियों के अन्यत्र इस्तेमाल का पता चले तो यूसीबी के हितों की रक्षा के लिए विशाखित राशि वापस लेना, मंजूर ऋण में कटौती, दंडात्मक प्रभार लगाना आदि आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, बैंक विशाखित राशि पर दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है। बैंकों को अपने ग्राहकों के बड़ी राशि के आहरणों के अनुरोधों पर उचित सतर्कता बरतनी चाहिए। नकदी ऋण तथा अन्य ऋण खातों में दृष्टिबंधक के अंतर्गत जब कभी यह पाया जाए कि स्टॉक बिक गया है लेकिन उससे हुई प्राप्तियां ऋण खाते में जमा नहीं की गई हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई को सामान्य तौर पर धोखाधड़ी माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में यूसीबी शेष स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाएं तथा अन्य अनिवार्य कार्रवाई भी करें ताकि उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में आगे और गिरावट को रोका जा सके।

4.11 निम्नलिखित में से किसी एक के होने को निधियों का अन्यत्र उपयोग माना जाएगा:

- (i) अल्पावधि कार्यशील पूंजीगत निधियों को दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए इस तरह इस्तेमाल करना जो मंजूरी की शर्तों के अनुसार न हों।
- (ii) उधार ली गई निधियों को उन प्रयोजनों / गतिविधियों के लिए या उन आस्तियों के निर्माण में इस्तेमाल नहीं करना जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था।
- (iii) सहयोगी संस्थाओं / ग्रुप कंपनियों या अन्य कंपनियों को निधियां अंतरित करना।
- (iv) उधारदाता के अनुमोदन के बिना उधारदाता बैंक या संघ सदस्य से इतर किसी बैंक के मार्फत निधियां भेजना।
- (v) उधारदाता के अनुमोदन के बिना इक्विटियां / ऋण लिखत प्राप्ति के जरिए दूसरी कंपनियों में निवेश करना।
- (vi) वितरित / आहरित राशि की तुलना में अभिनियोजित निधियों में कमी, के बीच के अंतर को हिसाब में नहीं लिया जाना।

4.12 निधियों की साइफनिंग तब हुआ माना जाएगा जब उधार ली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया हो जो उधारकर्ता के परिचालन से संबंधित न हो, जो संस्था या उधारदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। कोई कृत्य निधियों की साइफनिंग है या नहीं इसका निर्णय मामले के वस्तुपरक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उधारदाता के निर्णय द्वारा तय किया जाएगा।

4.13 निधियों का अंतिम उपयोग

परियोजना वित्तपोषण के मामलों में यूसीबी को निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ - साथ, सनदी लेखापाल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए अल्पावधि कंपनी / निर्बाध ऋणों के मामले में इस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थनार्थ उधारकर्ता को स्वयं अतिनिष्ठापूर्वक ध्यान देना चाहिए और जहां तक संभव हो, ऐसे ऋणों को उन्ही उधारकर्ताओं तक सीमित रखना चाहिए जिनकी निष्ठा और विश्वसनीयता सिद्ध हो चुकी हो। शहरी सहकारी बैंकों को सनदी लेखापाल द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर पूर्णतः आश्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने ऋण संविभाग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूसीबी द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना उनके ऋण संबंध नीतिगत प्रलेख का एक भाग है जिसके लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

4.14 निधियों की निगरानी और उनके अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उधारदाता द्वारा किए जाने वाले कुछ उदाहरणात्मक उपाय नीचे प्रस्तुत हैं;

- (i) उधारकर्ता की तिमाही प्रगति रिपोर्ट / परिचालनगत विवरण / तुलनपत्र की अर्थपूर्ण संवीक्षा
- (ii) उधारदाता पर प्रभारित उधारकर्ता की आस्तियों का नियमित निरीक्षण
- (iii) उधारकर्ता की लेखा बहियों और अन्य बैंकों में रखे नॉन-लियन खातों की आवधिक संवीक्षा
- (iv) सहायताप्रदत्त इकाइयों का आवधिक दौरा
- (v) कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण के मामले में आवधिक स्टाफ ऑडिट प्रणाली
- (vi) उधारकर्ता के 'ऋण' कार्यपद्धति की आवधिक व्यापक प्रबंधन लेखापरीक्षा करना ताकि ऋण प्रबंधन की प्रणालीगत कमजोरियों का पता लगाया जा सके।

4.15 दंडात्मक प्रभार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दंडात्मक ब्याज/प्रभार लगाने का उद्देश्य अनिवार्यतः ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है तथा ऐसे प्रभारों का उपयोग अनुबंधित ब्याज दर के अतिरिक्त राजस्व वृद्धि के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों को ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/प्रभार लगाने के लिए निम्नलिखित निदेशों का पालन करना होगा:

4.15.1 यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक प्रभार' माना जाएगा तथा उसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिम राशि पर लगाए जाने वाले ब्याज दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक प्रभारों का पूंजीकरण नहीं किया जाएगा, अर्थात् ऐसे प्रभारों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, इससे ऋण खाते में ब्याज के चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

4.15.2 यूसीबी द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक नहीं जोड़ा जाएगा तथा इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.15.3 यूसीबी को दंडात्मक शुल्क या ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

4.15.4 दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी तथा किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

4.15.5 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

4.15.6 दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण आरई द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम तथा शर्तों / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा आरई की वेबसाइट पर भी ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।

4.15.7 जब भी उधारकर्ताओं को ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, दंडात्मक शुल्क लगाने के किसी भी घटना और उसके कारण को भी सूचित किया जाएगा।

4.15.8 यूसीबी द्वारा अपने नीति ढांचे में उचित संशोधन किया जाए और 01 अप्रैल 2024 से लिए गए सभी नए ऋणों के संबंध में उपर्युक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में अन्तरण अगली समीक्षा/नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा, जो 01 अप्रैल 2024 को अथवा उसके बाद होगी, परंतु 30 जून 2024 के बाद नहीं होगी।

4.15.9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के मामले में, ₹25,000 तक के ऋण पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

4.15.10 दंडात्मक शुल्क पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट आरबीआई वेबसाइट के एफएक्यू खंड में अपलोड किया गया है।

4.16 जिम्मेदार उधार आचरण – व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को लौटाना।

पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और वैयक्तिक ऋण खाते को बंद करने पर चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लौटाने के संबंध में, यूसीबी द्वारा 'जिम्मेदार उधार आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लौटाना' पर [दिनांक 13 सितंबर 2023 के परिपत्र संख्या वि.वि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2023-24](#) में निहित अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

5. ऋण सूचना की रिपोर्टिंग / आदान-प्रदान

5.1 ऋण सूचना रिपोर्टिंग

यूसीबी समय-समय पर यथा संशोधित, दिनांक 06 जनवरी 2025 के 'मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश 2025' द्वारा निर्देशित रहेंगे।

5.2 सूचना का आदान प्रदान - सहायता संघीय व्यवस्था / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना

5.2.1 यूसीबी को एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा पानेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में अपने सूचना आधार को मजबूत बनाना चाहिए।

- (i) नयी ऋण सुविधा मंजूर करते समय यूसीबी उधारकर्ताओं से अन्य बैंकों से पहले से ही मिल रही ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा प्राप्त करें। विद्यमान उधारकर्ताओं के मामले में, सभी बैंकों को अपने ऐसे उधारकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जो 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का उपभोग कर रहे हैं या बैंकों को यह पता है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, बैंकों को अन्य बैंकों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए।
- (ii) तत्पश्चात, यूसीबी को अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के परिचालन के संबंध में कम-से-कम तिमाही अंतराल पर सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए।
- (iii) किसी प्रोफेशनल से, अधिमानतः किसी कंपनी सेक्रेटरी / लागत लेखाकार / सनदी लेखाकार से प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में नियमित प्रमाणन प्राप्त करें।
- (iv) क्रेडिट सूचना कंपनियों से प्राप्त क्रेडिट रिपोर्टों का अधिक उपयोग करें (सीआईबीआईएल, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फोर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. लि., इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि., तथा हाई मार्क क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि.)
- (v) यूसीबी को चाहिए कि वे भविष्य में (वर्तमान सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण करारों में ऋण सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में उपयुक्त खंड शामिल करें ताकि गोपनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके।

5.2.2 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना।

भारत सरकार ने सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एक ही अचल संपत्ति पर विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के मामलों में धोखाधड़ी होने से रोकने के उद्देश्य भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की है। यूसीबी को 14 दिसंबर 2012 के परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी)परिसं. 27/13.04.002/2012-13 द्वारा सृजित इक्विटेबल मॉर्गेंज के रिकार्डों को अपने हित में स्वेच्छा से सरसई में दर्ज करा सकते हैं। इसके अनुसरण में, सरकार ने सरसई पोर्टल पर निम्नलिखित प्रकार के सुरक्षा हित दाखिल करने के लिए 22 जनवरी 2016 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की:

- (i) स्वत्व विलेखों के जमा द्वारा बंधक के अलावा अन्य बंधक द्वारा अचल संपत्ति में सुरक्षा हित के सृजन, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।

- (ii) संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, ऋण सहित बही ऋण या प्राप्य, चाहे मौजूदा हो या भविष्य, के दृष्टिबंधक में सुरक्षा हित के सृजन, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।
- (iii) अमूर्त संपत्ति में सुरक्षा हित के निर्माण, संशोधन या संतुष्टि का विवरण, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइज़ी या कोई अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति का वाणिज्यिक अधिकार।
- (iv) किसी भी 'निर्माणाधीन' आवासीय या वाणिज्यिक या उसके एक हिस्से में बंधक के अलावा किसी समझौते या साधन द्वारा सुरक्षा हित के निर्माण, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।

इस संबंध में, सरसई में अचल (साम्यिक बंधक के अलावा), चल और अमूर्त आस्तियों से संबंधित सुरक्षा ब्याज दाखिल करने के निर्देश [27 दिसंबर 2018 के परिपत्र डीबीआर.एलईजी.सं.बीसी.15/09.08.020/2018-19](#) के माध्यम से जारी किए गए जो शहरी सहकारी बैंकों पर लागू कर दिया गया है। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2019 तक सरसई के साथ मौजूदा लेनदेन से संबंधित रिकार्ड दाखिल करने की सूचना दी गई थी। यह भी सूचित किया गया है कि सरसई के साथ सभी मौजूदा लेनदेन से संबंधित रिकार्ड निरंतर आधार पर दर्ज करें।

5.3 इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन

यूसीबी समय-समय पर यथा संशोधित, [दिनांक 30 जुलाई 2024 के 'इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन पर मास्टर निदेश'](#) द्वारा निर्देशित रहेंगे।

6. अग्रिमों की पुनर्रचना से संबन्धित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

6.1. सामान्य सिद्धांत

पुनर्रचना का मूल उद्देश्य इकाइयों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करना है न कि समस्या खातों को एवग्रिन करना। यह यूसीबी और उधारकर्ताओं द्वारा व्यवहार्यता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, खातों में कमजोरियों का त्वरित पता लगाने और पुनर्गठन पैकेजों के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देश प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित ऋण पुनर्रचना के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के ऋण पुनर्गठन पर लागू होंगे, जो मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होते रहेंगे। निर्धारित किए गए सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू होते हैं, जिनमें ऐसे उधारकर्ता भी शामिल हैं जो आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामकीय उपचार के लिए पात्र हैं, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित, [दिनांक 01 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों – शहरी सहकारी बैंक](#) में अग्रिमों के पुनर्गठन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश में विस्तृत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा के लिए, यूसीबी समय-समय पर यथा संशोधित [दिनांक 24 मार्च 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार- लक्ष्य और वर्गीकरण\) निदेश, 2025](#) द्वारा निर्देशित रहेंगे।

6.2. अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

6.2.1. यूसीबी 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

6.2.2 यूसीबी पूर्वव्यापी प्रभाव से उधार खातों का पुनर्निर्धारण/ पुनर्रचना /पुनर्परिक्रामण नहीं कर सकते हैं। जबकि एक पुनर्गठन प्रस्ताव विचाराधीन है, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होते रहेंगे। किसी आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्चित पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण स्थिति पुनर्रचना /पुनर्निर्धारण/ पुनर्परिक्रामण के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्गठन पैकेज स्वीकृत करने में अनुचित विलंब होता है और इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है, तो यह पर्यवेक्षी चिंता का विषय होगा।

6.2.3 आम तौर पर, पुनर्गठन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मूल ऋण समझौते में परिवर्तन/परिवर्तन देनदार की औपचारिक सहमति/आवेदन के साथ नहीं किया जाता है। हालांकि, योग्य मामलों में यूसीबी द्वारा पुनर्रचना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बशर्ते ग्राहक नियम और शर्तों से सहमत हों।

6.2.4 जब तक वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित नहीं हो जाती है और पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता नहीं है, तब तक यूसीबी द्वारा पुनर्रचना के लिए कोई खाता नहीं लिया जाएगा। यूसीबी द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, पैरामीटर में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतर और पुनर्चित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि शामिल हो सकती है। व्यवहार्य नहीं माने जाने वाले खातों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए और यूसीबी को ऐसे खातों के संबंध में वसूली के उपायों में तेजी लानी चाहिए। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह को देखे बिना और यूसीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/गतिविधि की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना किए गए किसी भी पुनर्गठन को एक कमजोर ऋण सुविधा को हमेशा के लिए हरा-भरा करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा और पर्यवेक्षी चिंताओं/कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

6.2.5 धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त उधारकर्ता पुनर्रचना के लिए अपात्र बने रहेंगे।

6.3 समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना (राइट-ऑफ)

यूसीबी द्वारा समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने के ढांचे के संबंध में [8 जून 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24](#) में निहित अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

7. विशिष्ट ऋण गतिविधियाँ

7.1 ब्रिज ऋण (अंतरिम ऋण) / अंतरिम वित्त

7.1.1 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी भी कंपनी (वित्त कंपनियों सहित) को ब्रिज लोन/अंतरिम वित्त प्रदान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

7.1.2 यूरो इश्यू के संबंध में भी ब्रिज ऋण /अंतरिम वित्त की मंजूरी पर प्रतिबंध लागू है।

7.1.3 यूसीबी को गैर जमानती परक्राम्य नोट, फ्लोटिंग रेट ब्याज बांड, आदि के साथ-साथ अल्पकालिक ऋण जैसे एक अलग नामकरण के तहत क्रेडिट की मंजूरी के उद्देश्य से और / या इरादे से इन निर्देशों को दरकिनार नहीं करना चाहिए जिसका पुनर्भुगतान बाहरी/अन्य स्रोतों से जुटाई जाने वाली या संभावित निधि से किया जाना प्रस्तावित/अपेक्षित है, न कि आस्ति (संपत्तियों) के उपयोग से उत्पन्न अधिशेष से।

7.2 रियल एस्टेट और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अग्रिम

रियल एस्टेट और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अग्रिम शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति ऋण की कुल राशि, ऐसे ऋणों के लिए एकल/कुल जोखिम सीमा, मार्जिन, सुरक्षा, पुनर्भुगतान अनुसूची और पूरक वित्त की उपलब्धता से संबंधित व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करने चाहिए और यह नीति यूसीबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए। वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए बिल्डरों और ठेकेदारों के एक्सपोजर में वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे। इसके अलावा, नीति तैयार करते समय, यूसीबी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय भवन कोड को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.gov.in) देखी जा सकती है।

7.3 लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण

यूसीबी लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों के वित्तपोषण के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित [01 अप्रैल 2025 के 'मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध-यूसीबी'](#) द्वारा निर्देशित रहेंगे।

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी वित्त

7.4.1 दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण के स्वतंत्र प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग को उधार देने के विभिन्न पहलुओं पर यूसीबी की जानकारी के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को संबोधित दिनांक 5 अक्टूबर 1998 के हमारे परिपत्र यूबीडी.सं.डीएस.एसयूबी.सं.4/13.05.00/98-99 के साथ संलग्न थे। तथापि, यूसीबी अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर दिशा-निर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि दिशानिर्देशों के उद्देश्य को अक्षरशः प्राप्त किया जा सके।

7.4.2 ये दिशानिर्देश सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण विस्तार के तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और उद्योग संघों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

7.4.3 यूसीबी इस कार्य क्षेत्र में परियोजना मूल्यांकन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योगों को कार्यशील पूंजी वित्त विस्तारित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और नवीनतम विकास के साथ तालमेल बिठाते हैं ताकि परियोजना मूल्यांकन के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके।

7.5 सोने/चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने पर अग्रिम

7.5.1 सोने/चांदी के गहनों पर ऋण और अग्रिमों की मंजूरी से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुबंध-3 में वर्णित सुरक्षा उपायों का पालन करें।

7.5.2 बुलेट पुनर्भुगतान

7.5.2.1 30 अक्टूबर 2014 से बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत उनके बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से दिए जा सकने वाले स्वर्ण आभूषणों पर ऋण की मात्रा को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन रु.1 लाख से बढ़ाकर रु.2लाख कर दिया गया है:

- (i) स्वीकृत ऋण की राशि किसी भी समय रु.2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) ऋण की अवधि मंजूरी की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होगी।
- (iii) मासिक अंतराल पर खाते में ब्याज लगाया जाएगा लेकिन मूलधन के साथ भुगतान मंजूरी की तारीख से 12 महीने के अंत में ही देय होगा।
- (iv) यूसीबी को निरंतर आधार पर ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पर 75% का मूल्य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाए रखना चाहिए, ऐसा न करने पर ऋण को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में माना जाएगा।
- (v) इस तरह के ऋण मौजूदा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों द्वारा शासित होंगे जो मूलधन और ब्याज के अतिदेय हो जाने पर लागू होंगे।

7.5.2.2 पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, 06 अक्टूबर 2023 से, बुलेट पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख कर दिया गया है, जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को पूरा कर लिया है और समय-समय पर यथा संशोधित [दिनांक 24 मार्च 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण\) निदेश, 2025](#) के पैरा 7.2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं। योजना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

7.5.3 स्वर्ण आभूषणों की संपार्श्विक प्रतिभूति पर स्वीकृत फसल ऋण ऐसे ऋणों के लिए मौजूदा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

7.5.4 यूसीबी को प्राथमिक सोना, स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़) की इकाइयों और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए कोई अग्रिम देने की अनुमति नहीं है।

7.6 किसान विकास पत्र (केवीपी) सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण/निवेश के लिए ऋण प्रदान करना

केवीपी में अधिग्रहण/निवेश के लिए ऋण देने से नई बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है, बल्कि मौजूदा बचत को बैंक जमा के रूप में लघु बचत साधनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह ऐसी योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया जाता है। अतः यूसीबी यह सुनिश्चित करें कि केवीपी सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण/निवेश के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

7.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उधार

शहरी सहकारी बैंकों को, सिद्धांत के रूप में, सलाह दी जाती है कि वे आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी उपक्रमों को बड़े मूल्य के ऋण न दें।

8. यूसीबी द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई

यूसीबी वास्तविक वाणिज्यिक/व्यापार बिलों की खरीद/छूट/ मोल-भाव /पुनः भुनाई करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:

8.1 चूंकि यूसीबी को पहले से ही उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी सीमा का आकलन/मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तय करने की स्वतंत्रता दी गई है, वे उधारकर्ताओं को उनकी ऋण आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बाद और उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार कार्यशील पूंजी सीमा के साथ-साथ बिल सीमा भी स्वीकृत कर सकते हैं।

8.2 यूसीबी को स्पष्ट रूप से अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बिल डिस्काउंटिंग नीति निर्धारित करनी चाहिए, जो कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी की उनकी नीति के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में, बोर्ड के अनुमोदन की प्रक्रिया में बिलों के प्रस्तुत होने से लेकर इनकी वसूली तक बैंकों की मुख्य परिचालन प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। यूसीबी बिलों के वित्तपोषण के संबंध में अपनी मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकते हैं और प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। बिलों की वसूली में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए, यूसीबी संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस), जहां कहीं भी उपलब्ध हों, जैसे बेहतर कंप्यूटर/संचार नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं और अपने ग्राहकों के खातों के 'वैल्यू डेटिंग' की प्रणाली को अपना सकते हैं।

8.3 यूसीबी को साख-पत्र खोलना चाहिए और बैंकों द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर किए गए अपने उधारकर्ताओं के वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापार लेनदेनों के संबंध में बिलों की खरीद / छूट / मोल-भाव केवल एलसी के तहत ही किया जाना चाहिए। अतः यूसीबी को निधि आधारित (बिलों के वित्तपोषण सहित) या गैर-निधि आधारित सुविधाएं जैसे साख-पत्र खोलना, गैर-घटक उधारकर्ता या/और संघ/बहु बैंकिंग व्यवस्था के गैर-घटक सदस्य को गारंटी और स्वीकृति प्रदान नहीं करनी चाहिए।

8.4 30 मार्च 2012 से, साख पत्र के तहत आहरित बिल किसी विशेष यूसीबी तक सीमित होने के मामले में, और साखपत्र का लाभार्थी उस यूसीबी द्वारा नियमित ऋण सुविधा प्रदान किए गए उधारकर्ता नहीं है, संबंधित यूसीबी अपने विवेकाधिकार और एलसी जारी करने वाले बैंक की क्रेडिट योग्यता के बारे में उनकी धारणा के आधार पर, ऐसी एलसी के संबंध में इस शर्त पर मोला-भाव करें कि आय एलसी के लाभार्थी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी। तथापि, नियमित ऋण सुविधाएं स्वीकृत नहीं किए गए उधारकर्ताओं के लिए अप्रतिबंधित साख-पत्रों की मोला-भाव के संबंध में प्रतिबंध लागू रहेगा।

8.5 प्रतिबंधित साख-पत्रों के तहत उपर्युक्त के अनुसार बिलों पर मोला-भाव करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को, उधार लेने के लिए शेयर लिंकिंग और सदस्यता पर सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में रिज़र्व बैंक/आरसीएस या सीआरसीएस के निर्देशों का पालन करना होगा।

8.6 क्रेडिट एक्सपोजर के प्रयोजन के लिए, एलसी के तहत खरीदे गए/छूट/ मोला-भाव किए गए बिल (जहां लाभार्थी को भुगतान 'रिज़र्व के तहत' नहीं किया गया है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा, न कि उधारकर्ता पर। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी स्वच्छ मोल-भावों को जोखिम भार सौंपा जाएगा जैसा कि पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए अंतर-बैंक एक्सपोजर पर सामान्य रूप से लागू होता है। 'रिज़र्व के तहत' आनेवाले मोल-भावों के मामले में एक्सपोजर को उधारकर्ता के ऊपर माना जाना चाहिए और तदनुसार जोखिम भार निर्धारित करना चाहिए।

8.7 एलसी के तहत या अन्यथा बिलों की खरीद / छूट / मोला-भाव करते समय, यूसीबी को अंतर्निहित लेनदेन / दस्तावेजों की वास्तविकता स्थापित करनी चाहिए।

8.8 यूसीबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे खाली चेक, मांग-पत्र आदि जैसे सुरक्षा मदों के मामले में किया जाता है, खाली एलसी फ़ार्मों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है और दैनिक आधार पर सत्यापित / संतुलित की गई है।

8.9 'विथआउट रिकोर्स' के रूप में खंडित विनियम के बिलों को आहरित करने और 'विथआउट रिकोर्स' की किंवदंती वाले साख पत्र जारी करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मोला-भाव करने वाले बैंक को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आहरणकर्ता के विरुद्ध सहारा के अधिकार से वंचित करती हैं। इसलिए, यूसीबी को बिना सहारा' खंड वाले एलसी नहीं खोलना चाहिए और बिलों की खरीद/छूट/ मोल-भाव नहीं करना चाहिए।

8.10 आवास बिलों को बैंकों द्वारा खरीदा / भुनाया / मोल-भाव नहीं किया जाना चाहिए।

8.11 समूह की अन्य कंपनियों पर बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित अग्रिम वित्त कंपनियों द्वारा आहरित बिलों में छूट देते समय यूसीबी को सतर्क रहना चाहिए।

8.12 बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा रखे गए मीयादी बिलों तक ही सीमित होनी चाहिए। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और दो/तीन पहिया वाहनों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले बिलों को छोड़कर यूसीबी को एनबीएफसी द्वारा पहले भुनाए गए बिलों को फिर से भुनाना नहीं चाहिए।

8.13 यूसीबी सेवा क्षेत्र के बिलों की छूट में अपने वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे बिलों में छूट देते समय, यूसीबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और आवास बिलों में छूट नहीं दी गई है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के लिए पात्र नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र के बिलों की छूट के विरुद्ध वित्त प्रदान करना अप्रतिभूतिगत अग्रिम माना जा सकता है और इसलिए, असुरक्षित अग्रिमों की मंजूरी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए।

8.14 भुगतान अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, जो एक निश्चित सीमा तक बिलों की स्वीकृति को प्रोत्साहित करेगा, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा स्तर से अधिक पण्यावर्तवाले सभी कॉर्पोरेट और अन्य घटक उधारकर्ताओं को बैंकों को प्रस्तुत की जानेवाली उनकी आवधिक विवरणियों में अपने अतिदेय देय राशियों के 'एजिंग (परिपक्वन) अनुसूची' का खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

8.15. इन अनुदेशों के किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक से दंडात्मक कार्रवाई का पात्र बनेगा।

9. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को ऋण

यूसीबी एसएचजी और जेएलजी को इस संबंध में उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और नीचे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उधार दे सकते हैं:

9.1 उधार नीति

एसएचजी/जेएलजी को उधार देना यूसीबी की सामान्य व्यावसायिक गतिविधि माना जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से एसएचजी/जेएलजी को उधार देने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी। ऋण की अधिकतम राशि, ऋणों पर प्रभार्य ब्याज दर आदि सहित यह नीति यूसीबी की समग्र ऋण नीति का हिस्सा होनी चाहिए।

9.2 उधार देने की विधि

यूसीबी एसएचजी/जेएलजी को सीधे उधार देने के तरीके का अनुसरण करें। बिचौलियों के माध्यम से उधार देने की अनुमति नहीं होगी।

9.3 सदस्य के रूप में एसएचजी/जेएलजी का नामांकन

9.3.1 एसएचजी सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह हैं जो औपचारिक/अनौपचारिक हो सकते हैं। इन बचतों को बाद में समूह द्वारा आय उत्पन्न करने के उद्देश्यों के लिए सदस्यों को उधार दिया जाता है। दूसरी ओर, जेएलजी व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है जो समान प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए या तो अकेले या समूह तंत्र के माध्यम से पारस्परिक गारंटी के प्रति बैंक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ आता है।

9.3.2 एसएचजी में आम तौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं जबकि एक जेएलजी में आमतौर पर 4 से 10 सदस्य होते हैं। सदस्यता के मामले यूसीबी द्वारा अपनाए गए उप नियमों और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए, शहरी सहकारी बैंकों को संबंधित अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और ऐसे सदस्यों का नामांकन करते समय और एसएचजी/जेएलजी को ऋण प्रदान करते समय, जहां कहीं आवश्यक हो, आरसीएस/सीआरसीएस का पूर्वानुमोदन लेना होगा। शहरी सहकारी बैंकों के उप-नियमों में भी इस प्रकार के ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है।

9.4 शेयर लिंकिंग मानदंड

उधार के साथ शेयर लिंकिंग पर मौजूदा निर्देश एसएचजी/जेएलजी को उधार देने के लिए लागू होंगे।

9.5 ऋण का स्वरूप – प्रतिभूति और गैर-प्रतिभूति

गैर-प्रतिभूति ऋण और अग्रिम प्रदान करने संबंधी मौजूदा सीमाएं (व्यक्तिगत और कुल) स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों पर लागू नहीं होंगी। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जेएलजी को दिए गए ऋण, उस सीमा तक जो मूर्त सुरक्षा द्वारा समर्थित नहीं हैं, गैर-जमानती माने जाएंगे और गैर-जमानती ऋणों और अग्रिमों पर मौजूदा सीमाओं के अधीन होंगे।

9.6 एक्सपोजर का स्वरूप

व्यक्तिगत या समूह: एसएचजी/जेएलजी को दिए गए ऋण व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमाओं पर मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

9.7 ऋण की राशि

एसएचजी को ऋण की अधिकतम राशि समूह की बचत के चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से प्रबंधित एसएचजी के मामले में समूह की बचत के दस गुना की सीमा के अधीन सीमा को पार किया जा सकता है। समूहों का मूल्यांकन कुछ वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है जैसे कि सिद्ध (प्रमाणित) ट्रेक रिकॉर्ड, बचत पैटर्न, वसूली दर, हाउसकीपिंग आदि। जेएलजी यूसीबी के पास जमा रखने के लिए बाध्य नहीं हैं और इसलिए जेएलजी को दिए गए ऋण की राशि जेएलजी की ऋण आवश्यकताओं और ऋण आवश्यकता संबंधी बैंक के आकलन पर आधारित होगी।

9.8 ऋण के लिए मार्जिन और प्रतिभूति

मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकता संबंधित यूसीबी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी।

9.9 प्रलेखन

यूसीबी ऋण के उद्देश्य और उधारकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसएचजी/जेएलजी को दिए जाने वाले ऋणों के लिए सरल दस्तावेज निर्धारित करें।

9.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

यूसीबी को, समय-समय पर यथा-संशोधित, [दिनांक 24 मार्च 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण\) निदेश 2025](#) द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

9.11 बचत बैंक खाता खोलना

एसएचजी/जेएलजी यूसीबी में बचत बैंक खाता खोलने के पात्र होंगे।

9.12 केवाईसी मानदंड

यूसीबी को समय-समय पर यथा-संशोधित [दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें \(केवाईसी\) निदेश 2016](#) के पैरा 43 द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

10. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले राहत उपायों पर दिशानिर्देश

10.1 यूसीबी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संचालन के क्षेत्र में सूखे, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करें। इन दिशा निर्देशों को अनुबंध-4 में दिया गया है।

10.2 प्राकृतिक आपदाओं के होने पर राहत उपायों में होनेवाले विलंब को टालने के लिए यूसीबी को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से यथोचित नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करने चाहिए। उपायों में लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें स्थिति के अनुरूप यथोचित रूप से ढाला जा सके।

10.3 यूसीबी को संविदा अधिनियम और परिसीमन अधिनियम के संबंधित उपबंधों पर विचार करते समय अपने विधि विभाग से परामर्श करके आशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रलेखन का निपटान कर लेना चाहिए और वे इन दिशानिर्देशों से नियंत्रित मामलों से संबंधित प्रलेखन के बारे में अपने कार्यालयों को उचित अनुदेश दे सकते हैं।

अनुबंध - 1

[पैराग्राफ संख्या 4.1.1(vii) देखें]

मुख्य तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.				ऋण का प्रकार		
2	संस्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)						
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में अथवा 100% अग्रिम संवितरण। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण करार के खंड का उल्लेख करें						
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)						
5	किस्त का विवरण						
किश्तों के प्रकार			ईपीआई की संख्या		ईपीआई (₹)	संस्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर अथवा अस्थिर या हाइब्रिड)						
7	अस्थिर ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी						
संदर्भ बैंचमार्क	बैंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर = (बी) + (एस)	रीसेट आवधिकता ¹ (महीने)		संदर्भ बैंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (‘आर’ में 25 बीपीएस परिवर्तन होने पर, निम्नलिखित में परिवर्तन: ²)	
				बी	एस	ईपीआई (₹)	ईपीआई की संख्या

¹ क्रेडिट प्रोफाइल में परिवर्तन के अलावा, स्थायी रीसेट

² कृपया [18 अगस्त 2023 के परिपत्र ‘समान मासिक किस्तों \(ईएमआई\) पर आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थाई ब्याज दर का रीसेट’](#) का संदर्भ लें।

8	शुल्क/प्रभार ³						
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय			
		एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में) अथवा प्रतिशत (%) जैसा लागू हो ⁴	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) अथवा प्रतिशत (%) जो भी लागू हो ⁶		
(i)	प्रसंस्करण शुल्क						
(ii)	बीमा प्रभार						
(iii)	मूल्यांकन शुल्क						
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)						
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) ⁵						
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ अथवा % में, जैसा लागू हो)						
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो						
(ii)	अन्य दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो						
(iii)	मोचन निषेध प्रभार, यदि लागू हो						
(iv)	अस्थिर से स्थिर दर पर ऋण स्विच करने तथा इसके विपरीत हेतु प्रभार						
(v)	कोई अन्य प्रभार (कृपया निर्दिष्ट करें)						

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

³ यूसीबी निवल राशि का खुलासा जीएसटी जैसे किसी भी कर को शामिल किए बिना कर सकते हैं।

⁴ आवृत्ति का उल्लेख करें, जहां आवर्ती हो

⁵ कृपया अनुबंध बी में दिए गए उदाहरण का संदर्भ लें

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण करार का खंड	
2	ऋण करार का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी ⁶	
4	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को अंतरित किया जा सकता है अथवा भविष्य में किया जा सकता है (हां/नहीं)	
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के अंतर्गत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	मूल आरई का नाम, साथ ही उसका वित्तपोषण अनुपात	भागीदार आरई का नाम और उसके वित्तपोषण का अनुपात
		मिश्रित ब्याज दर
6	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	(i) आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	
	(ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	

⁶ यूसीबी जेनरिक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, बशर्ते जवाब एक कार्य दिवस के भीतर दिया जाए

संपत्ति के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश

मूल्यांकनकर्ताओं को पैनल में शामिल करना (पैरा 4.9)

संपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति पर नीति बनाते समय यूसीबी द्वारा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए:

क) संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए नीति

- i) यूसीबी के पास उनके एक्सपोजर के लिए स्वीकृत संपार्श्विक सहित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।
- ii) मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात् मूल्यांकनकर्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं होना चाहिए।
- iii) यूसीबी को रु. 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।

अचल संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुनर्मूल्यांकन के लिए आस्तियों की पहचान के लिए प्रक्रिया, ऐसी आस्तियों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड का रखरखाव, पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति, ऐसी आस्तियों के लिए मूल्यहास नीति, ऐसी पुनर्मूल्यांकन संपत्ति की बिक्री के लिए नीति आदि शामिल होनी चाहिए। पॉलिसी में पुनर्मूल्यांकन के विवरण के संबंध में 'लेख पर नोट्स' में किए जाने के लिए आवश्यक प्रकटीकरण भी शामिल होना चाहिए जैसे अचल संपत्तियों की मूल लागत। यह मूल्यहास / मूल्यहास आदि के लिए पुनर्मूल्यांकन और लेखांकन उपचार के अधीन होना चाहिए। चूंकि पुनर्मूल्यांकन अचल संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति अतीत में संपत्ति की कीमतों में देखी गई अस्थिरता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मूल्यहास की पद्धति में किसी भी परिवर्तन को संपत्ति के भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। बैंकों को किसी विशेष वर्ग की संपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति / मूल्यहास की पद्धति को बदलते समय इन सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और इस संबंध में उचित प्रकटीकरण करना चाहिए।

ख) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनाने की नीति

- i) यूसीबी के पास पेशेवर मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया होनी चाहिए और 'मूल्यांकनकर्ताओं की अनुमोदित सूची' का एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।
- ii) मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए यूसीबी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करें। संपत्ति के विभिन्न वर्गों (जैसे भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि भूमि, आदि) के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित करें। योग्यता निर्धारित करते समय, यूसीबी कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखें।

2. यूसीबी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित लेखाकरण मानक के दिशानिर्देशों का भी पालन करें।

सुरक्षा उपाय - स्वर्ण / चांदी के आभूषण गिरवी रखने के बदले में अग्रिम

(पैरा 7.5.1 देखें)

(i) गहनों का स्वामित्व

यह आवश्यक है कि यूसीबी के पास जिन व्यक्तियों की बाकायदा पहचान है उन्हीं को अग्रिम दिया जाए। गहनों को गिरवी के रूप में स्वीकार करने से पहले यूसीबी गहनों के स्वामित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। बैंक उधारकर्ता से यह घोषणपत्र प्राप्त करें कि गहने उसकी संपत्ति हैं तथा यूसीबी के पास उन्हें गिरवी रखने का उसे पूर्ण अधिकार है। गिरवी रूप में के लिए गहने स्वीकार करना तथा यूसीबी की बकाया राशि चुकता करने के बाद संबंधित पार्टी को गहने लौटाने का कार्य प्राधिकृत कार्यालयीन कक्ष में ही किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से बचा जा सके।

(ii) मूल्यांकन

गिरवी रखने के लिए प्रस्तावित स्वर्णभूषणों का मूल्यांकन करने के लिए यूसीबी को अनुमोदित ज्वेलर्स या श्रॉफ की मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्ति करनी चाहिए तथा क्षतिपूर्ति बांड और नकद के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति रखनी चाहिए। गहनों का मूल्यांकन एवं समीक्षा यूसीबी परिसर में ही करना उचित होगा परंतु जब यह संभव न हो तब मार्ग में होनेवाली हानि से बचने के लिए बैंक उचित सावधानी बरते। यूसीबी के पास तालाबंद बक्से में गहने भेजे जिसकी एक चाबी के पास तथा दूसरी यूसीबी के पास रखी जाए। बक्से को यूसीबी के जिम्मेदार स्टाफ के जरिए तथा भावी उधारकर्ता के साथ भेजा जाए। हर बार बक्से में गहने रखने का कार्य बाक्स को मूल्यांकनकर्ता के पास ले जाने वाले कर्मचारी तथा उधारकर्ता की उपस्थिति में किया जाए। मार्ग में गहनों की हानि के लिए यूसीबी आवश्यक बीमा करवाएं।

(iii) मूल्यांकन रिपोर्ट

(क) मूल्यांकन प्रमाणपत्र में गहनों का वर्णन, उनकी सूक्ष्मता, गहनों का सकल वजन, सोने की मात्रा का निवल वजन जिसमें नग, लाख, मिश्र धातु, तार, झूलन आदि का वजन शामिल नहीं है तथा सोने का मौजूदा बाजार मूल्य आदि स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए जो ऋण दस्तोवेजों के साथ यूसीबी के पास रखी जानी चाहिए।

(ख) मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करने तथा उधारकर्ता के लिए इसे और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जमानत/संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषण का मूल्य निर्धारण पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने के उस बंद भाव के औसत पर किया जाएगा जो इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लि. [जिसे पहले बॉबे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के रूप में जाना जाता था] द्वारा उद्धृत किया गया हो। [दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी. \(पीसीबी/आरसीबी\) परिपत्र संख्या 3/13.05.001/2015-16](#) के अनुसार, यूसीबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित पिछले 30 दिनों के ऐतिहासिक स्पॉट सोने की कीमत के आंकड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि स्वर्ण की शुद्धता 22 कैरेट से कम हो तो

यूसीबी को संपार्श्विक को 22 कैरेट में परिवर्तित कर संपार्श्विक के सटीक भार का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कम शुद्धता वाले स्वर्ण के आभूषणों का मूल्य निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति का रिकार्ड

उधारकर्ता का पूर्ण नाम, उसका आवासीय पता, अग्रिम की तारीख, राशि तथा गहनों का विस्तृत वर्णन 'सोने के गहने' नामक रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा प्रबंधक द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उस पर अपने आद्याक्षर दर्ज किए जाने चाहिए।

(v) गहनों की अभिरक्षा

प्रत्येक उधारकर्ता के गहने (या प्रत्येक ऋण की वस्तुएं) गहनों के वर्णन, स्वर्ण ऋण खाता सं., पार्टी का नाम आदि की सूची के साथकपड़े की छोटी थैलियों में अलग-अलग रखा जाए। ऋण खाता सं., तथा पार्टी के नाम का एक टैग बैग के साथ बांधा जाए ताकि उनकी पहचान करने में सुविधा हो। ऋण खाता संख्या के क्रमानुसार थैलियां ट्रे में रखी जाएं तथा स्ट्रांग रूम या अग्निरक्षी आलमारियों (फायर प्रूफ सेफ) में संयुक्त अभिरक्षा में रखी जाएं।

(vi) अवधि

स्वर्णाभूषणों के बदले में अग्रिम की अवधि सामान्यतः 6 महीनों से 1 साल तक ही सीमित रखनी चाहिए।

(vii) मार्जिन

क) एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, यूसीबी द्वारा स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए गए ऋण (स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर बुलेट पुनर्भुगतान ऋण सहित) के लिए ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक न हो। यूसीबी को अग्रिम पर ब्याज की वसूली शीघ्रतापूर्वक करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उपचित ब्याज ऋण खाते से नामे कर निर्धारित मार्जिन कम नहीं करना चाहिए।

ख) सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग, कैरेटेज, सुंदरता और शुद्धता के रूप में आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यूसीबी ऐसे हॉलमार्क वाले आभूषणों की जमानत पर अग्रिम देना सुरक्षित और आसान पाएंगे। हॉलमार्क वाले आभूषणों के तरजीही व्यवहार से हॉलमार्किंग की प्रथा को बढ़ावा मिलने की संभावना है जो उपभोक्ताओं, उधारदाताओं और उद्योग के दीर्घकालिक हित में होगी। इसलिए, यूसीबी आभूषणों पर अग्रिम देने पर विचार करते समय हॉलमार्क वाले आभूषणों के लाभों को ध्यान में रखें और मार्जिन और उस पर ब्याज दरों पर निर्णय लें।

(viii) आभूषण लौटाना

खाते के ब्याज के साथ ऋण चुकाने पर उधारकर्ता को आभूषण लौटाने चाहिए तथा उससे आभूषण प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

(ix) आंशिक रूप से आभूषण लौटाना

ऋण की आंशिक चुकौती के बदले में कुछ आभूषण लौटाते समय यह सावधानी बरती जाए कि शेष आभूषणों का मूल्य खाते में निर्धारित मार्जिन के साथ बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

(x) तीसरे पक्ष को सुपुर्दगी

जब आभूषण तीसरे पक्ष की सुपुर्द किए जाते हैं, तो उधारकर्ता से प्राधिकार पत्र तथा बाद में उधारकर्ता से सुपुर्दगी की पुष्टि प्राप्त करें। प्राधिकार पत्र में उधारकर्ता द्वारा इस आशय का वचन दिया जाना चाहिए कि पत्र में उल्लिखित तीसरे पक्ष को आभूषणों की सुपुर्दगी से उत्पन्न, विवाद या हानि की जिम्मेदारी यूसीबी की नहीं होगी। प्राधिकार पत्र तथा गोल्ड लोन लेजर पर तीसरे पक्ष की रसीद प्राप्त करें।

(xi) चुक

जब उधारकर्ता नियत तारीख को चुकौती करने से चुक जाता है तो उसे यह सूचना दी जाए की निर्धारित समयावधि में वह ऋण की चुकौती करे तथा यदि कोई उत्तर ने मिलने की स्थिति में पंजीकृत डाक द्वारा उसे यह कहते हुए अनुस्मारक भेजा जाए कि आभूषणों की नीलामी की जाएगी और यूसीबी को बकाया राशि का बिक्री राशि से समायोजन करने के बाद यदि कोई राशि बचती है तो उधारकर्ता को वह अदा की जाएगी तथा उसकी रसीद ली जाएगी।

(xii) आभूषणों को पुनः गिरवी रखना

आभूषणों को पुनः गिरवी रखना अग्रिम देना शहरी सकारी बैंको के लिए उचित नहीं है क्योंकि इस सुविधा का वित्तपोषण किए जाने की संभावना है जो अनुचित कार्यकलाप है।

(xiii) बीमा

यूसीबी के पास गिरवी रखें गए रत्नों की चोरी की जोखिम के लिए बीमा करना चाहिए। यदि यूसीबी गिरवी रखे रत्नों को अग्निरोधक स्टाग रुम में रखता है तो आगजनी के लिए उनका बीमा करने की आवश्यकता नहीं है। यूसीबी नकद, रत्नाभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं और सभी प्रकार की जोखिम के लिए बीमा करवाएँ।

(xiv) सत्यापन

संयुक्त अभिरक्षक से अन्य अधिकारी द्वारा सोना / चांदी के आभूषण रखें गए पैकेटों का आकस्मिक सत्यापन किया जाए तथा इसे अलग रजिस्टर में आवश्यक ब्यौरों के साथ दर्ज किया जाए।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

[पैरा 10.1 के तहत]

1. सूखा, बाढ़, चक्रवात और ज्वार-भाटा और प्राकृतिक आपदाओं के आवधिक लेकिन बार-बार आने से देश के किसी न किसी क्षेत्र में जान और माल दोनों की काफी हानि होती है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही से लोगों के पुनर्वास के लिए सभी एजेंसियों को काफी प्रयास करने पड़ते हैं। राज्य और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को दी गई विकासात्मक भूमिका में आर्थिक कार्यक्रमों के पुनरुत्थान में इनका सक्रिय समर्थन आवश्यक है।

2. चूंकि प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र, समय और उसकी गहनता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास ऐसी दुर्घटनाओं के समय की जानेवाली कार्रवाई की ब्लू प्रिंट हो ताकि अपेक्षित राहत और सहायता तेजी से और बिना समय गंवाए प्रदान की जा सके। इससे यह पूर्व अपेक्षित है कि वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, ओर क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों के पास स्थायी अनुदेशों का एक सेट हो जिसमें जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक घोषणा के बाद आपदाओं से प्रभावित इलाकों में शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई बताई गई हो। यह आवश्यक है कि यह जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों और सभी जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध हो ताकि बैंक की शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के प्रति सभी संबंधितों का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो।

3. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सहायता के प्रावधान के संबंध में सटीक विवरण, स्थिति की आवश्यकताओं, उनकी अपनी परिचालन क्षमताओं और उधारकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगा। इसका निश्चय वे जिला अधिकारियों के परामर्श से कर सकते हैं।

4. फिर भी, बैंकों को एक समान और ठोस कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए, विशेष रूप से कृषकों, लघु उद्योग इकाइयों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सराहना की जाती है।

5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा समन्वित और शीघ्र कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए प्रभावित जिले की जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के संयोजकों को प्राकृतिक आपदाओं की घटना के तुरंत बाद एक बैठक बुलानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि राज्य का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ हो तो राज्य /जिला प्राधिकारियों के सहयोग से समन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा तय करते समय बैंक व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार और / या अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता / सब्सिडी को हिसाब में ले सकते हैं।

6. क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों को कतिपय विवेकपूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि जिला / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा की जानेवाली कार्रवाई की सहमति हो जाने पर उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालय का नए सिरे से अनुमोदन न लेना पड़े। उदाहरण के लिए, उधारकर्ता की कुल देयताओं (अर्थात् पुराने ऋण से

उत्पन्न जहाँ वित्तपोषित आस्तियां प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो गई हों या क्षतिग्रस्त हो गई हों और ऐसी आस्तियों के सृजन/ मरम्मत के लिए नए ऋण, मार्जिन, जमानत आदि को देखते हुए वित्त की मात्रा तय करने, ऋण अवधि का विस्तार करने, नया ऋण मंजूर करने के लिए ऐसी विवेकपूर्ण शक्तियां आवश्यक होंगी।

7. लाभार्थियों की पहचान

बैंक शाखाओं को उनके परिचालन क्षेत्र में प्रभावित गांवों की सूची संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त करनी चाहिए। पता लगाए गए व्यक्तियों में से बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को हुई हानि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तथापि, नए उधारकर्ताओं के मामले में इस संबंध में गहन पूछताछ की जानी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जहां कहीं उपलब्ध हो, सरकारी प्राधिकारियों की सहायता ली जानी चाहिए। फसल ऋणों के संबंध में संपरिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए जहां यह सुविधा प्रदान की जानी है उस क्षेत्र का पता लगाने की क्रियाविधि नीचे पैराग्राफ 12 में बताई गई है।

8. विस्तार

प्रत्येक शाखा न केवल अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को बल्कि अपने कमांड क्षेत्र के अन्य पात्र व्यक्तियों को भी ऋण सहायता प्रदान करेगी, बशर्ते कि वे किसी अन्य वित्तीय एजेंसी द्वारा कवर न किए गए हों।

9. प्राथमिकताएँ

खड़ी फसलों/बागों/वृक्षारोपण आदि के संरक्षण और कायाकल्प के लिए वित्त सहित तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी। समान रूप से महत्वपूर्ण पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण / संरचनाओं की मरम्मत और संरक्षण, जल निकासी, पंपिंग, और पंप-सेट, मोटर, इंजन और अन्य आवश्यक उपकरणों की मरम्मत के लिए अन्य उपाय और संचालन होंगे। मौसमी आवश्यकताओं के अधीन, अगली फसल का वित्तपोषण किया जाएगा।

10. कृषि ऋण

i) कृषि के संबंध में बैंक सहायता की आवश्यकता फसल उगाने के उद्देश्य से अल्पकालिक ऋण के रूप में और दुधारू पशुओं की खरीद, मौजूदा नलकूपों और पंप-सेटों की मरम्मत, नई ट्यूब -कुओं की खुदाई और नए पंप-सेट की स्थापना, भूमि सुधार, गाद / रेत हटाना, खड़ी फसलों / बागों / वृक्षारोपण आदि का संरक्षण और कायाकल्प, पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण संरचनाओं की मरम्मत और संरक्षण, आदि के लिए सावधि ऋण के रूप में होगी।

ii) **फसल ऋण** : सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सरकारी प्राधिकारियों ने जिस हद तक फसलों को क्षति हुई है उसके लिए आनेवारी घोषित की होगी। तथापि, जहां ऐसी घोषणा नहीं की गई है, वहां बैंकों को संपरिवर्तन सुविधाएं प्रदान करने में विलंब नहीं करना चाहिए, ओर डीसीसी के विचारों के समर्थन में जिला कलेक्टर का यह प्रमाणपत्र कि फसल की पैदावार सामान्य पैदावार से 50% कम है (जिसके लिए विशेष बैठक बुलाई जानी होगी) राहत व्यवस्था शीघ्र करने के लिए पर्याप्त होगा। कलेक्टर का प्रमाणपत्र खाद्यान्नों सहित सभी फसलों को शामिल करते हुए फसलवार जारी किया जाना चाहिए।

नकदी फसलों के बारे में इस प्रकार के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना कलेक्टर के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

iii) कारगर होने के लिए किसानों को सहायता शीघ्रातिशीघ्र दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अग्रणी बैंक और संबंधित जिला अधिकारियों को एक ऐसी क्रियाविधि अपनानी चाहिए जिससे उधारकर्ता का चुनाव, सरकार / सहकारी सोसायटियों / बैंकों की देय राशि, आवेदक की जमीन का स्वत्वाधिकारी संबंधी प्रमाण आदि एक साथ प्राप्त किया जा सकें।

iv) जहां ऋण शिबिर आयोजित किए जा रहे हों वहाँ जिला अधिकारियों के परामर्श से ऐसे शिबिरों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिसमें खंड विकास अधिकारी और राजस्व अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, पंचायत प्रधान आदि वहीं के वहीं आवेदनों को अंतिम रूप देने पर विचार करने में मदद कर सकें। राज्य सरकार कलेक्टर के साथ निम्नलिखित अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों के लिए उन संबंधित कार्यों के निर्वाह के लिए एकजीक्यूटिव आदेश जारी करेगी जो ऐसे ऋण शिबिर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंतर्गत निर्धारित हैं:

- खंड विकास अधिकारी
- सहकारी निरीक्षक
- राजस्व अधिकारी / ग्राम राजस्व सहायक
- क्षेत्र में परिचालन बैंक के अधिकारी
- पैक्स, लैप्स / एफएसएस
- ग्राम पंचायत प्रधान

विलंब से बचने के लिए, जिस फार्म में सरकारी अधिकारी को ऋण शिबिरों में प्रमाण पत्र देना होता है, जिला मेजिस्ट्रेट को उसकी पर्याप्त प्रतियां छपवा लेनी चाहिए।

v) आगामी फसली मौसम के लिए ऋण आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की राज्य सरकार को देय राशि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा होने की तारीख को सरकारी को देय सभी राशियों पर लंबी अवधि के लिए स्थगनादेश घोषित कर देती हो।

11. उपभोक्ता ऋण

सामान्य उपभोग के प्रयोजनों के लिए वर्तमान उधारकर्ताओं को बिना किसी संपार्श्विक के ₹ 5000/- तक के ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा ऐसे ऋण तब भी प्रदान किए जा सकते हैं, जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोई जोखिम निधि गठित नहीं की गई हो।

12. नए ऋण

उत्पादक गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए समय पर नई वित्तीय सहायता न केवल वर्तमान उधारकर्ताओं को, बल्कि अन्य पात्र उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान खातों की स्थिति के बावजूद उधारकर्ताओं को दिए गए नए ऋण चालू देय माने जाएंगे।

13. वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण

क. चूंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की चुकौती क्षमता आर्थिक व्यवसाय की क्षति और आर्थिक आस्तियों की हानि के कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, अतः प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यह आवश्यक हो जाता है कि ऋणों की चुकौती में राहत दी जाए। अतः वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होगा। फसल ऋणों में बकाया मूलधन राशि तथा कृषि मीयादी ऋणों के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए।

ख. मीयादी ऋणों की पुनर्निर्धारित चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक आस्तियों की हानि की सीमा और विपत्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। सामान्यतया, चुकौती के लिए पुनर्निर्धारित अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है। तथापि, जहाँ आपदा से हुई क्षति बहुत अधिक है तो बैंक अपने विवेक के आधार पर चुकौती की अवधि 7 वर्ष तथा अत्यधिक मुसीबत में चुकौती अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक कर सकते हैं। पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में अधिस्थगन अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को ऐसे पुनर्निर्धारित ऋणों पर अतिरिक्त संपार्श्विक की मांग नहीं करनी चाहिए। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋण और अन्य देय राशियों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार होगी :

ग. पुनर्निर्धारित फसल ऋण चालू देय के रूप में माने जाएँ तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों से शासित होगा तथा अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम तथा लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए मूलधन का ब्याज तथा / अथवा किस्त अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति माना जाएगा। कृषकों द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपर्युक्त मानदण्ड पुनर्निर्धारित कृषि मीयादी ऋणों पर लागू होंगे।

घ. उपर्युक्त मानदंड, अग्रिम से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित, [दिनांक 01 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों – शहरी सहकारी बैंक](#) के अनुबंध 1 में सूचीबद्ध सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे।

च. अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो तो "मानक आस्तियों" के रूप में माना जाएगा और भविष्य में उनका आस्ति वर्गीकरण उसकी स्वीकृति की शर्तों और स्थिति से शासित होगा।

छ. यदि ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो प्राकृतिक आपदा की तारीख की स्थिति के अनुसार आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा। अन्यथा पुनर्व्यवस्थित उधार खाते 09 मार्च 2006 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.सं.30/ 09. 09. 001/05-06 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त अवमानक खातों पर लागू दिशानिर्देश संदिग्ध खातों पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

ज. खुदरा अथवा उपभोग ऋणों के खण्ड में बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि वह उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त हो।

14. वित्त की मात्रा

किसी जिले में विभिन्न फसलों के लिए वित्तपोषण की मात्रा एक समान होगी। वित्त की मात्रा विभिन्न उधारदात्री संस्थाओं द्वारा मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी। मात्रा तय करते समय उधारकर्ता की न्यूनतम उपभोक्ता जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट और जिले में कार्यरत बैंक की शाखाओं को तय की गई मात्रा का पालन करने के लिए सूचित किया जाएगा।

15. विकास ऋण - निवेश लागत

i) मौजूदा मीयादी ऋण की किस्तों को उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और नीचे दिए गए प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रख कर पुनर्निधारित / आस्थगित करना होगा।

क) सूखा, बाढ़ और चक्रवात आदि जहां केवल उस वर्ष की फसल को नुकसान हुआ हो और उत्पादक आस्तियों को नुकसान न हुआ हो।

ख) बाढ़ और चक्रवात जहां उत्पादक आस्तियां आंशिक रूप से या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उधारकर्ता को नए ऋण आवश्यकता है।

ii) श्रेणी (क) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के संबंध में बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त के भुगतान को आस्थगित कर सकते हैं और ऋण की अवधि को बढ़ा सकते हैं (निम्नलिखित अपवादों के अधीन)-

क) वे किसान जिन्होंने विकासकार्य/निवेश, जिसके लिए ऋण लिया था, वह नहीं किया अथवा ऋण से खरीदे गए उपकरणों/ मशीनों को बेच दिया है।

ख) वे जो आयकरदाता हैं।

ग) सूखा पड़ने के मामले में वे किसान जिनके पास, नहरों से पानी की आपूर्ति को छोड़कर सिंचाई के बारह मासी स्रोत उपलब्ध हैं या अन्य बारहमासी स्रोतों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

घ) ट्रैक्टर के मालिक, उन वास्तविक मामलों को छोड़कर जहां आय में घाटा हुआ हो और उसके फलस्वरूप उनकी चुकौती क्षमता में हास हुआ हो।

iii) इस व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व वर्षों में जानबूझकर किस्तों में हुई चूक पुनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होगी। बैंकों को उधारकर्ताओं द्वारा दिए जानेवाले ब्याज के भुगतान को आस्थगित करना होगा। विस्तार अवधि तय करते समय ब्याज के प्रति प्रतिबद्धता को भी ध्यान में रखना होगा।

iv) उपर्युक्त श्रेणी (i)(ख) के संबंध में अर्थात् जहां उधारकर्ताओं की आस्तियां पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हों, वहां ऋण अवधि को बढ़ाकर ऋण चुकौती का पुनर्निर्धारण, अल्पावधि ऋणों और नए फसल ऋणों की चुकौती को आस्थगित कर देने के कारण पुराने मीयादी ऋणों और संपरिवर्तन ऋण (मध्यावधि ऋण) की चुकौती के प्रति उधारकर्ता की वचनबद्धता सहित उनकी सकल चुकौती क्षमता के आधार पर तय किया जानी चाहिए। ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों से प्राप्त आर्थिक सहायता, बीमा योजनाओं आदि के

अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति, को घटाकर कुल ऋण की चुकौती अवधि का निर्धारण उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण भूमि को समतल करने, गाद हटाने और भूमि उध्दार के लिए हो, निवेश के प्रकार के साथ - साथ वित्तपोषित आस्ति की आर्थिक (उपयोग) जीवन के आधार पर 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस प्रकार कृषि मशीनरी अर्थात् पंप सेट, और ट्रैक्टर के लिए ऋण के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण की कुल अवधि अग्रिम की तारीख से सामान्यतः 9 वर्षों से अधिक न हो।

16. मौजूदा मीयादी ऋणों के पुनर्निर्धारण के अलावा बैंक प्रभावित किसानों को निम्नलिखित विकासात्मक प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार के मीयादी ऋण प्रदान करेंगे जैसे कि:

i) लघु सिंचाई

कुओं, पंपसेटों आदि की मरम्मत के लिए मीयादी ऋण जिनकी मात्रा क्षति की प्रमात्रा और मरम्मत की अनुमानित लागत के मूल्यांकन के बाद तय की जा सकती है।

ii) बैल

जहां हल / गाड़ी खींचने वाले पशु खत्म हो गए हैं वहां बैलों / भैसों की नई जोड़ी खरीदने के लिए नए ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। जहां ऋण नए पशु खरीदने के लिए दिया गया है या जहां किसान ने दुधारू पशु खरीदे हैं वहां पशुचारा या खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण दिया जा सकता है।

iii) दुधारू पशु

दुधारू पशु खरीदने के लिए मीयादी ऋण पर पशु की नस्ल, दूध उत्पाद आदि को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा। ऋण राशि में छाजन की मरम्मत, उपकरणों की खरीद और पशुखाद्य शामिल होंगे।

iv) बीमा

चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए इसी प्रयोजन के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की तरह जोखिम व नश्वरता निधि खड़ी करने के बजाए पशुओं का बीमा करवा लेना चाहिए। दुधारू पशुओं / हल / गाड़ी खींचने वाले पशुओं की पहचान के लिए और लाभार्थियों द्वारा उन्हें दोबारा बेचे जाने के प्रति सुरक्षा उपाय के रूप में उन्हें ब्रांडेड किया जाना चाहिए।

v) मुर्गीपालन और सूअर पालन

मुर्गीपालन, सूअर पालन और बकरी पालन के लिए ऋण पर अलग - अलग बैंकों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

vi) मत्स्यपालन

जिन उधारकर्ताओं की नाव, जाल और अन्य उपकरण नष्ट हो गये हैं उनके बारे में मौजूदा ऋण की चुकौती को गुण-दोषों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाए। उन्हें 3/4 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले नए ऋण मंजूर किए जा सकते हैं। मौजूदा उधारकर्ता की नाव की मरम्मत के लिए भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। जिन मामलों में सबसीडी उपलब्ध है वहां ऋण की मात्रा उस सीमा तक कम कर देनी चाहिए।

उन राज्यों में जहां नाव जाल आदि की लागत के प्रति पर्याप्त मात्रा में सबसीडी मिलने की संभावना हो वहां राज्य के संबंधित विभागों के साथ यथोचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिम प्रदान करने से संबंधित सभी मानदंडों और शर्तों का पालन करने के अलावा, मत्स्यपालन विभाग से भी संपर्क किया जाना चाहिए जिससे यह अपेक्षित है कि वह इस प्रयोजन के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में बैंक की सहायता करेगा। जहां तक संभव हो, प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी जोखिमों के प्रति नाव का व्यापक बीमा किया जाना चाहिए।

17. भूमि-उद्धार

(i) यह संभव है कि बालू आच्छादित जमीन के सुधार के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक होगी। सामान्यतया, 3 इंच तक जमा बालू/ गाद को जुताई द्वारा मिट्टी में ही मिला दिया जाता है या किसान द्वारा वित्तीय सहायता के बिना हटा दिया जाता है। जहां तत्काल बुआई संभव है और भूमि उद्धार (बालू को हटाना) आवश्यक है वहां ऋण आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए। जहां लवणयुक्त भूमि के उद्धार की आवश्यकता हो वहां भूमि उद्धार की लागत जो फसल ऋण के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, फसल ऋण के साथ दी जा सकती है।

(ii) रेशम, उत्पादन, बागबानी, फुलोद्यान, पान आदि जैसी गतिविधियों के लिए बैंक अपनी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित सामान्य क्रियाविधि अपनाएंगे। कार्यशील पूंजी वित्त उस अवधि तक के लिए प्रदान किया जाएगा जब तक कि बागान से हाने वाली आय ऐसे खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो जाती।

(iii) तथापि, यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत निर्धारण पर खड़ी फसल/फलोद्यान के पुनर्जीवन / नवीकरण के लिए जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त फसल ऋण दिया जा सकता है।

(iv) पर्याप्त मात्रा में बीजों और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अभिग्रहण और उचित आपूर्ति की व्यवस्था के प्रश्न पर राज्य सरकार और प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उसी प्रकार पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकार के स्वामित्ववाले छिछले और गहरे नलाकूपों और नदी उत्थापक (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली की मरम्मत सरकार द्वारा की जाएगी। मछलीपालन के लिए राज्य सरकार का मछलीपालन विभाग फिंगरलिंग्स प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा / और उन व्यक्तियों को आपूर्ति करेगा जो बैंक वित्त की सहायता से तालाब में मछली पालन को पुनर्जीवित करना चाहता है।

(v) राज्य सरकार को ऐसी योजनाएं बनाने पर विचार करना होगा जिनसे वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रयोजन के लिए दी गई राशि के लिए नाबार्ड की दर से पुनर्वित्त प्राप्त हो सके।

18. कारीगर और स्व-नियोजित व्यक्ति

(i) हथकरधा बुनकरों सहित सभी श्रेणी के ग्रामीण कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए ऋण की आवश्यकता शेडों की मरम्मत, उपकरणों को बदलने, कच्चा माल खरीदने और भंडारण के लिए होगी। ऋण मंजूर करते समय संबंधित राज्य सरकार से उपलब्ध सबसीडी/ सहायता के प्रति यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

(ii) कई कारीगर, व्यापारी, और स्वनियोजित व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास किसी भी बैंक के साथ कोई बैंकिंग व्यवस्था या सुविधा नहीं होगी लेकिन उन्हें अब पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसी श्रेणी के व्यक्ति उन बैंक शाखाओं से वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे जिनके कमांड एरिया में

वे रहते हैं या अपना व्यवसाय/कारोबार चला रहे हैं। जहां कोई व्यक्ति / पार्टी एक से अधिक बैंकों के कमांड एरिया में आता हो वहां संबंधित बैंक मिलकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे।

19. लघु और अतिलघु उद्योग

(i) ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र, के अंतर्गत किसी इकाई, लघु औद्योगिक इकाई के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त हुई मझौले औद्योगिक क्षेत्र की इकाई की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फैक्टरी भवनों / शेडों और मशीनरी की मरम्मत / नवीकरण करने, और क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदलने, कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी और भंडारण के लिए तुरंत मीयादी ऋण देना होगा।

(ii) जहां कच्चा माल या तैयार माल बह गया है या नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया हो वहां बैंक को दी गई जमानत का भी स्वाभाविक रूप से क्षय हुआ होगा और कार्यशील पूंजी खाता (नकदी ऋण या ऋण) अनियमित हो जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक प्रतिभूति के मूल्य से अधिक आहरण की राशि को मीयादी ऋण में संपरिवर्तित करेंगे और उधारकर्ताओं को आगे और कार्यशील पूंजी प्रदान करेंगे।

(iii) सही गई क्षति और पुनर्वास के लिए जरूरी समय और उत्पादन पुनः शुरू होने और उसकी बिक्री के आधार पर एवं इकाई की आय उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मीयादी ऋण की किस्तों का यथोचित रूप से पुनर्निर्धारित करना होगा। मार्जिन में कमी को माफ करना होगा, यहां तक कि छोड़ देना होगा और उधारकर्ता को अपने भावी नकदी उत्पत्ती से धीरे-धीरे मार्जिन राशि जुटाने की अनुमति देनी होगी। जहां राज्य सरकार या किसी एजेंसी ने ग्रांट/सबसीडी/सीडमनी देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई हो तो ऐसी ग्रांट / सबसीडी/सीडमनी की मात्रा तक यथोचित मार्जिन निर्धारित की जानी चाहिए।

(iv) छोटी /अतिलघु इकाइयों को उनके पुनर्वास के लिए ऋण देने में बैंकों की प्राथमिक सोच पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद इकाई का अर्थक्षम होना है।

20. शर्तें और निबंधन

राहत ऋणों को संचालित करने वाली शर्तें और निबंधन जमानत और मार्जिन के बारे में लचीली होनी चाहिए। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी से संरक्षित छोटे ऋणों के मामलों में वैयक्तिक गारंटी के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में वैयक्तिक गारंटी के अभाव में ऋण नकारा नहीं जाना चाहिए।

21. प्रतिभूति

जहां बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बैंक की मौजूदा जमानत का क्षय हुआ है, वहां मात्र अतिरिक्त नई जमानत के अभाव में वित्तीय सहायता नकारी नहीं जानी चाहिए। जमानत का मूल्य (मौजूदा के साथ-साथ नए ऋण से प्राप्त की जानेवाली आस्ति) भले ही ऋण राशि से कम हो, फिर भी नए ऋण दिए जाने चाहिए।

(क) जहां पहले फसल ऋण (जिसे मीयादी ऋण के रूप में संपरिवर्तित किया गया है) वैयक्तिक प्रतिभूति / फसल के बंधक रखने, पर जो 5000/- रूपये तक फसल ऋण का मामला होगा, दिया गया था और उधारकर्ता संपरिवर्तित ऋण के लिए भूमि को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित / बंधक रखने की स्थिति में नहीं है, वहां केवल इस आधार पर कि वह भूमि को जमानत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उसे संपरिवर्तन की सुविधा नकारी नहीं जानी चाहिए।

(ख) यदि उधारकर्ता ने पहले ही भूमि को बंधक / प्रभारित रख कर मीयादी ऋण ले लिया हो तो बैंक को संपरिवर्तित मीयादी ऋण के लिए दूसरे प्रभार पर सहमत हो जाना चाहिए।

(ग) संपरिवर्तन सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक को तीसरी पार्टी की गारंटियों के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए।

(घ) उपकरण को बदलने, मरम्मत करने आदि के लिए मीयादी ऋणों और कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए कार्यशील पूंजी वित्त या फसल ऋणों के मामले में हमेशा की तरह जमानत प्राप्त की जाए। मूल स्वत्वाधिकार अभिलेखों के अभाव में जहां भूमि को जमानत के रूप में स्वीकार किया गया हो वहां उन किसानों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए जिन्होंने अपने स्वत्वाधिकार के प्रमाण खो दिए हैं, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विलेखों के रूप में जारी प्रमाणपत्र के साथ-साथ पंजीकृत बटाइदारों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने चाहिए।

(च) ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट की सिफरिशों के अनुसार बैंक उधारकर्ताओं को किसी भी आर्थिक कार्यकलाप के लिए संपार्श्विक जमानता या गारंटी का आग्रह किए बिना 500/- रुपये तक का वित्तपोषण प्रदान करेंगे।

22. मार्जिन

मार्जिन की आवश्यकता को माफ कर दिया जाए या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रांट / सबसीडी को मार्जिन समझ लिया जाए।

23. ब्याज

ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होंगी। तथापि, अपने विवेकाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उधारकर्ताओं की परेशानियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए और प्रभावित लोगों को रियायत दें।

(i) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करनेवाले व्यक्तियों को योजना के उपबंधों के अनुसार ऋण दिया जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान देय राशियों के चूक के मामले में, कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को चक्रवृद्धि ब्याज लगाना भी समुचित रूप से आस्थिगत कर देना चाहिए।

24. अन्य मामले

(i) कारोबार निरन्तरता योजना (बीपीसी)

बैंकिंग प्रणाली में तकनीक के बढ़ते हुए परिदृश्य में कारोबार निरन्तरता योजना (बीपीसी) कारोबार में रुकावट और प्रणाली असफलता को कम करने के लिए पहली प्रमुख पूर्वापेक्षा है। कारोबार निरन्तरता योजना प्रणाली के रूप में, बैंक प्राकृतिक आपदा के घरे में आने वाली संभावित शाखाओं के लिए विकल्प के रूप में अन्य शाखाओं की पहचान करें। इसलिए बैंकों को केवल आपदा वसूली व्यवस्था के साथ-साथ पूर्णरूपेण एक विस्तृत कारोबार निरन्तरता योजना (बीपीसी) तैयार करनी चाहिए। बैंकों को अपनी डीआर साइट को अद्यतन बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे उनकी विस्तृत जाँच कर सकें और प्राथमिक और द्वितीयक साइटों के बीच आँकड़ों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित रख सकें।

(ii) ग्राहकों को उनके बैंक खाते तक पहुंच

(क) ऐसे क्षेत्र जहां बैंक शाखाएँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं तथा सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए अस्थायी परिसर से परिचालन कर सकते हैं।

अस्थायी परिसर में 30 दिन से अधिक समय बने रहने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देते हुए अनुषंगी कार्यालय, विस्तार काउंटर गठित करके या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है।

(ख) ग्राहकों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु बैंक सावधि जमा जैसे खातों को सुलभ बनाने संबंधी दंड में छूट देने पर विचार कर सकता है।

(ग) एटीएम के कार्य को फिर से शीघ्र चालू करने या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अन्य व्यवस्था को उचित महत्व दिया जाए। बैंक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं जिससे ग्राहक अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम आदि तक पहुँच सकें।

(iii) करेंसी प्रबंधन

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बैंक/शाखा, यदि आवश्यक हो तो अन्य बैंकों से जिनमें उनके खाते हों अथवा मुद्रा तिजोरी शाखा से संपर्क कर सकता है जिसके साथ वह संलग्न है ताकि उसके ग्राहकों को नकदी की आपूर्ति की जा सके।

(iv) केवाईसी मानदंड

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को नए खाते खुलवाने हेतु विशेषतः सरकार / अन्य एजेंसियों द्वारा दिये जानेवाले विभिन्न राहतों का उपभोग करने हेतु बैंक निम्नलिखित आधार पर खाता खोल सकते हैं-

क) अन्य खाता धारक जो संपूर्ण केवाईसी प्रक्रिया से गुज़रा हो, से परिचय या

ख) पहचान के दस्तावेज़ जैसे वोटर पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, किसी कार्यालय, कंपनी, विद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ पता दर्शाता हुआ दस्तावेज़ जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि, या

ग) दो पड़ोसियों का परिचय जिनके पास उपर्युक्त पैरा 5 (ख) में दर्शाये दस्तावेज हों, या

घ) उपर्युक्त न होने पर अन्य कोई सबूत जिससे बैंक संतुष्ट हो।

च) उपर्युक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में शेष 50,000/- रु. से अधिक न हो या प्रदान की गई राहत की राशि (यदि अधिक हो) और खाते में कुल जमा 1,00,000/- रु. या एक वर्ष में प्रदान राहत की राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न हो।

(v) समाशोधन एवं निपटान प्रणाली

समाशोधन सेवा में निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 20 बड़े शहरों में "ऑन-सिटी बैंक-अप केन्द्र" तथा शेष शहरों के लिए प्रभावी अल्प लागत निपटान समाधान के संबंध में सूचित किया। समाशोधन क्षेत्र में जहां सामान्य समाशोधन सेवाओं में बाधाएं आती हों वहां बैंक लचीली समाशोधन सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। तथापि, इन व्यवस्थाओं के बावजूद बैंक ग्राहकों की निधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ी राशि के लिए चेक भुनाने हेतु विचार कर सकता है। बैंक इएफटी, इसीएस या डाक

सेवाओं के शुल्क में छूट देने पर विचार कर सकता है ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधि अंतरण हो सके।

25. व्यापार और उद्योग के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

पुनर्व्यवस्थित ऋणों के लिए अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, अतिरिक्त संपार्श्विक संबंधी अनुदेश तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड सभी प्रभावित एवं पुनर्व्यवस्थित उधार खातों पर लागू होंगे जिनमें कृषि के अलावा उद्योग एवं व्यापार के खाते शामिल हैं।

26. दंगों और उपद्रवों के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक जब कभी भी बैंकों को दंगों / उपद्रवों से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता देने के लिए सूचित करता है तो बैंक को स्थूल रूप से उक्त दिशा-निर्देशों को पालन करना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार की एजेंसी दंगों आदि से प्रभावित के रूप में विधिवत पता लगाए गए व्यक्तियों को ही पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है।

(i) प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए, दंगा / उपद्रव होने पर जिला कलेक्टर अग्रणी बैंक अधिकारी को, यदि आवश्यक हो तो, डीसीसी की बैठक बुलाने और दंगों / उपद्रव के क्षेत्र में जान-माल की हानि की मात्रा पर डीसीसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। डीसीसी यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि जान और माल की काफी हानि हुई है, तो दंगों / उपद्रवों से प्रभावित लोगों को ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कुछ केंद्रों पर जहां डीसीसी नहीं हैं, जिला कलेक्टर राज्य की एसएलबीसी के आयोजकों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने पर विचार करने के लिए बैठक का आयोजन करने के लिए कह सकता है। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उस पर डीसीसी/एसएलबीपी के निर्णय को दर्ज किया जाना चाहिए और उसे बैठक के कार्यविवरण में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक के कार्य विवरण की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के भेजी जानी चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला प्रशासन द्वारा दंगों / उपद्रव से प्रभावित के रूप में पता लगाए गए वास्तविक व्यक्तियों को ही सहायता दी जाती है।

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	विवि.एसटीआर.आरईसी.13/13.03.00/2024-25	15.04.2024	ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)
2	विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24	29.12.2023	उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क: अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा का विस्तार
3	विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24	06.10.2023	स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
4	विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2023-24	13.09.2023	जिम्मेदार उधार आचरण - वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना
5	विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24	18.08.2023	उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
6	विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24	18.08.2023	समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण
7	विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24	08.06.2023	समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
8	विवि.सीआरई.आरईसी.56/13.05.000/2022-23	26.07.2022	बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक
9	डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22	28.06.2021	सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश
10	डीओएस.केका.पीपीजी.बीसी.1/11.01.005/2020-21	21.08.2020	ऋण सुविधाओं की तदर्थ/लघु समीक्षा/नवीकरण
11	एफआईआईडीडी.एमएसएमई & एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31	02.07.2020	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह

	/2020-21		
12	डीबीआर.एलईजी.सं.बीसी.15/09.08.020/2018-19	27.12.2018	सरसई में अचल (साम्यिक बंधक के अलावा), चल और अमूर्त आस्ति से संबंधित सुरक्षा ब्याज दाखिल करना
13	डीसीबीआर.बीपीडी. (पीसीबी/आरसीबी). परि. सं. 3/13.05.001/2015-16	15.10.2015	सोने के गहनों/आभूषणों को गिरवी रखने पर अग्रिम
14	शबैवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.001/2014-15	30.10.2014	आभूषण ऋण – एकमुश्त चुकौती – शहरी सहकारी बैंक
15	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.66/13.05.000/2013-14	28.05.2014	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उधार
16	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.64/12.05.001/2013-14	26.05.2014	अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड का लगाया जाना
17	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.60/13.05.001/2013-14	09.05.2014	सोना / चांदी आभूषणों की गिरवी पर अग्रिम दिया जाना
18	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी)परि.36/13.05.001/2012-13	06.02.2013	सोने की खरीद के लिए बैंक वित्त
19	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.27/13.04.002/2012-13	14.12.2012	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत केंद्रीय इलिक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना
20	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.29/13.05.00/2011-12	30.03.2012	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई – प्रतिबंधित साखपत्र (एलसी)
21	शबैवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.50	02.06.2011	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता

	/13.05.000(बी)/2010-11		समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण
22	शर्बैवि.पीसीबी.बीपीडी.परि. 69 /09.22.010/2009-10	09.06.2010	स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर - शहरी सहकारी बैंक
23	शर्बैवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.16/ 09.22.010/2009-10	26.10.2009	भवन निर्माता द्वारा बंधक आस्ति प्रकट करना
24	शर्बैवि.पीसीबी.परि.53 और 60 /13.05.000/2008-09	06.03.2009 20.04.2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्चना से संबंधित दिशानिर्देश
25	शर्बैवि.पीसीबी.परि.36 और 59 /13.05.000/2008-09	21.01.2009 09.04.2009	सहायता संघीय व्यवस्था/ बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना
26	शर्बैवि.पीसीबी.परि. 24 /13.05.001/2008-09	10.11.2008	सोना /चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले में अग्रिम
27	शर्बैवि.पीसीबी.परि.12 और 13 /12.05.001/2008-09	17.09.2008	एएलएम दिशानिर्देश
28	शर्बैवि.पीसीबी.परि.33/13.05.00/ 07-08	29.02.2008	भवननिर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम
29	शर्बैवि.पीसीबी.परि.22/13.05.00/ 07-08	26.11.2007	स्वर्ण ऋण भुगतान
30	शर्बैवि.पीसीबी.परि.13/13.05.000/ 07-08	13.09.2007	अग्रिमों की निगरानी- बरती जाने वाली सावधानियां - शहरी सहकारी बैंक
31	शर्बैवि.पीसीबी.परि.44/13.04.000/ 06-07	18.05.2007	बैंकों द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज के बारे में शिकायत
32	शर्बैवि.पीसीबी.परि.35/09.09.01/ 06-07	18.04.2007	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना
33	शर्बैवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.33/ 13.05.000/ 06-07	16.03.2007	किसान विकास पत्र खरीदने के लिए ऋणों की मंजूरी (केवीपी)
34	शर्बैवि.पीसीबी.परि.26/13.05.000/ 06-07	09.01.2007	आस्ति का मूल्यांकन - मूल्यांकनकर्ताओं को पैनाल में शामिल करना
35	शर्बैवि.पीसीबी.परि.10/13.05.0	04.09.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी

	00/ 06-07		दिशानिर्देश
36	शबैवि.पीसीबी.परि.8/13.05.00 0/ 06-07	21.08.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देश
37	शबैवि.पीसीबी.परि.58/09.09.0 1/ 05-06	19.06.2006	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का पालन-उधारदात्री संस्थानों के लिए आवश्यक निर्धारण
38	शबैवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.सं. 46/13.05.000/ 05-06	19.04.2006	साख पत्र के अंतर्गत भुनाए गए बिल-जोखिम-भार तथा ऋण सीमा संबंधी मानदंड
39	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.36 /09.09.001/ 05-06	09.03.2006	लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ऋण पुनर्संरचना तंत्र- संघ के वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा
40	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.34/13.05 .000/ 05-06	02.03.2006	स्वर्णाभूषणों तथा गहनों पर अग्रिम
41	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.8/09.116 .00/ 05-06	09.08.2005	पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-आवास वित्त/वाणिज्यिक स्थावर संपदा को ऋण पर जोखिम-भार
42	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.14/09.11 .01/ 2004-05	24.08.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
43	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.7/09.11. 01/ 2004-05	29.07.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
44	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.37/ 13.05. 00/2003-04	16.3.2004	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई
45	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 34/13.05.00/2001-02	28.3.2002	बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
46	शबैवि.बीएसडी.1.सं.8/12.05.0 0/2001-02	31.8.2001	बैंकर चेक/भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट जारी करना
47	शबैवि.सं.पीओटी.सं.33/ 09.17.03/2000-01	20.2.2001	गुजरात में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों / व्यवसाय के लिए राहत उपाय
48	शबैवि.डीएस.32/13.04.00/20	12.02.2001	भूकंप से प्रभावित निर्यातकों के लिए

	00-01		राहत/रियायतें
49	शबैवि.सं.पीओटी.परि.30/ 09.20.00/2000-01	1.2.2001	शाखा सलाहकार समितियां
50	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि. 4/13.05.00/1998-99	5.10.1998	सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूँजी वित्त मंजूर करने के लिए दिशा-निर्देश
51	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.8 /13.04.00/1998-99	30.9.1998	गुजरात में चक्रवात से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत / रियायतें
52	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी. 19/13.05.00/1997-98	12.2.1998	ऋण मंजूरीयों की सूचना
53	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि. 28/13.05.00/1997-98	16.12.1997	बैंकों द्वारा उधार के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूँजी का आकलन
54	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि.25/13.05.00/97-98	4.12.1997	लघु औद्योगिक इकाइयों के आपूर्तिकर्ताओं के बकायों के निपटान के लिए 'बिल' वित्त
55	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 15/13.05.00/97-98	21.10.1997	बैंक ऋण की सुपूर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
56	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.47 /13.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंकों द्वारा उधार देने के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूँजी का आकलन - अधिकतम स्वीकार्य बैंक वित्त की अवधारणा - नीति की समीक्षा
57	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.48 /13.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली
58	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.31 /13.05.00/1996-97	29.11.1996	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली
59	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.5/ 09.08.00/1996-97	16.7.1996	अग्रिम संविभाग का प्रबंधन और अग्रिमों पर नियंत्रण
60	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि 64/13.05.00/1995-96	31.5.1996	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
61	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 63/13.05.00/1995-96	24.5.1996	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार

62	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.60/ 09.78.00/1995-96	8.4.1996	उपकरण पट्टेदारी और किराया खरीद वित्तीय कार्यकलाप
63	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 54/13.05.00/1995-96	23.3.1996	ऋण आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन निधियों के विशाखन को रोकने के उपाय
64	शबैवि.सं.डीसी.23/ 13.05.00/95-96	19.10.1995	ऋण निगरानी प्रणाली – बैंकों में उधारखातों के लिए ऋण स्थिति कूट
65	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 22/13.05.00/1995-96	13.10.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
66	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 14/13.05.00/1995-96	28.9.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण प्रणाली आरंभ करना
67	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी. 62/13.05.00/1994-95	12.6.1995	एक करोड़ रुपये से कम की कार्यशील पूंजीगत सीमा का मूल्यांकन – स्पष्टीकरण
68	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 59/13.06.00/1994-95	31.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार, कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक उधार संबंधी मानदंड – परिशोधित दिशा-निर्देश
69	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.60/13.05.00/94-95	30.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार
70	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.58/13.05.00/94-95	17.5.1995	तात्कालिक ऋण / अंतरिम वित्त
71	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि. 41/13.05.00/1994-95	04.2.1995	उधार व्यवस्था का अनुपालन, (क) सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज की एक समान दर लगाना (ख) अनुदेशों का पालन न करने पर दंडात्मक ब्याज लगाना
72	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी. 43/13.05.00/1994-95	10.2.1995	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार संबंधी दिशा-निर्देश
73	शबैवि.सं.डी.एस.परि.पीसीबी.39 /13.05.00/1994-95	14.1.1995	ऋण सीमाके उपयोग न किए गए अंश पर वायदा प्रभार लगाना
74	शबैवि.सं.डीएस.परि.25/ 13. 05.00/1994-95	21.10.1994	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार

75	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.19 /13.04.00/1994-95	5.10.1994	विभिन्न उद्योगों के लिए स्टॉक/प्राप्यराशि संबंधी मानदंड
76	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.18 /13.05.00/1994-95	19.9.1994	कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक ऋण संबंधी मानदंड तय करने के लिए रिज़र्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के लिए गठित इन हाऊस ग्रुप की रिपोर्ट – परिशाधित दिशा-निर्देश
77	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.3/ 13.05.00/1994-95	6.7.1994	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार संबंधी दिशा-निर्देश
78	शबैवि.सं.पीसीबी.परि.80/13.05.00/1993-94	1.6.1994	ऋण प्राधिकरण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच तालमेल
79	शबैवि.सं.(पीसीबी)50/13.05.00/93-94	14.1.1994	कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध-स्थायर आस्ति ऋण
80	शबैवि.सं.पॉट.47/09.51.00/1993-94	6.1.1994	निक्षेप बीमा और प्रक्षेप गारंटी निगम को देय गारंटी प्रिमियम की घटना
81	शबैवि.सं.(पीसीबी).डीसी.40/13.05.00/1993-94	13.12.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूंजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरूपण
82	शबैवि.सं.प्लान.22/09.11.00/1993-94	28.9.1993	निधियों के प्रवाह की निगरानी
83	शबैवि.(पीसीबी)5/13.06.00/1993-94	14.8.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच तालमेल
84	शबैवि.सं.(पीसीबी)1/ 13.06.00/1993-94	12.7.1993	वनस्पति और हाइड्रोजनेटेड उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
85	शबैवि.सं.डीसी.(पीसीबी)99/13.06.00/1992-93	30.6.1993	बिस्कुट और बेकरी उत्पादन उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
86	शबैवि.(एसयूसी)डीसी.124/13.	30.6.1993	स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड, बासमती

	06.00/1992-93		चावल
87	शबैवि.सं.(पीसीबी).54/ डीसी (आर-1)1992-93	7.4.1993	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध
88	शबैवि.सं.(पीसीबी)डीसी.45/आर.1/1992-93	25.2.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूँजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरूपण
89	शबैवि.सं.41/यूबी.17(सी)/1992-93	10.2.1993	हाल ही में दंगों से प्रभावित इलाकों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपयों के बारे में दिशा-निर्देश
90	शबैवि.सं.आईएण्डएल.40.जे.1992-93	9.2.1993	कार्यशील पूँजीगत निधियों का विशाखन
91	शबैवि.सं.पीसीबी.29/सी.(आर.1)/1992-93	26.12.1992	तत्कालीक ऋण / अंतरिम वित्त
92	शबैवि.(पीसीबी)5/डीसीआर/1ए/1992-93	24.07.1992	बिजली पैदा / वितरण करनेवाले उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
93	शबैवि.(पीसीबी)3/डीसी.आर/1/1992-93	14.7.1992	रासायनिक उद्योग अनिवार्य तेल आधारित रासायनों के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक/ प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
94	शबैवि.(एसयूसी)36/डीसी.आर.1(ए)/1990-91	31.05.1991	बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अंतर्गत आहरणों पर प्रतिबंध
95	शबैवि.(पीसीबी)42/डीसी.एचसी (पॉलिसी)/1990-91	11.02.1991	ऋण निगरानी प्रणाली-शहरी सहकारी बैंकों में उधार खातों के ऋण स्थिति कूट
96	शबैवि.पीसीबी.2/डीसी.(आर1) 1990-91	20.07.1990	पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करना
97	शबैवि.(एसयूसी)22.डीसी.आर.1 990/91	07.07.1990	ऋण निगरानी व्यवस्था – ऋण अनुशासन - तिमाही सूचना प्रणाली
98	शबैवि.सं.डीसी.113/आर.1.ए-1988-89	24.4.1989	कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन – कागज उद्योग और उपभोग्य छुट्टे भागों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
99	शबैवि.सं.डीसी.27/आर.1.ए-	23.8.1988	अभियांत्रिकी उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य

	1988-89		राशि संबंधी दिशा-निर्देश
100	शबैवि.सं.(डीसी)2.आर.1ए-1988-89	8.7.1988	रासायनिक उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
101	शबैवि.सं.(डीसी)123/आर.1/1987-88	31.5.1988	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
102	शबैवि.सं.(डीसी)101/आर.1ए.1987-88	15.2.1998	विविध उद्योगों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी दिशा-निर्देश
103	शबैवि.सं.आईएण्डएल.67/जे.1/1987-88	21.11.1987	बिल्डरों / ठेकेदारों को अग्रिम
104	शबैवि.(डीसी)104/आर.1/1986-87	25.06.1987	कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश, साख-पत्र खोलना और गारंटियां जारी करना
105	शबैवि.डीसी.84/आर.1/ 1986-87	03.06.1987	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
106	शबैवि.(डीसी)57/आर.1/1986-87	19.02.1987	उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक
107	शबैवि.सं.डीसी.41/आर.1/1986-87	07.11.1986	वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं की दी जानेवाली ऋण सुविधाएं रोक देना
108	शबैवि.(डीसी)83/आर.1/1985-86	24.03.1986	सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन
109	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/जे.1-85/86	11.10.1985	शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए अग्रिम निधियों का विशाखन
110	शबैवि.पीएण्डओ.1383/यूबी.17(सी)/1984-85	22.05.1985	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में शहरी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपाय
111	शबैवि.पॉट.654/यूबी.17(सी)/1984-85	23.11.1984	हाल ही की विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक सहायता
112	एसीडी.ओपीआर.1569/ए.35-79/80	02.10.1979	आगे ऋण विस्तार को रोकने के उपाय
113	एसीडी.ओपीआर.2697/ए.	24.12.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्रधिकरण

	75/1974-75		योजना
114	एसीडी.ओपीआर.1222/ए-75/1974-75	07.09.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना
115	एसीडी.प्लान.3109/पीआर.414 (9)/1968-69	18.06.1969	सहकारी बैंकों के माध्यम से औद्योगिक वित्त पर कार्यकारी दल - शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित सिफारिशें - अपेक्षित कार्रवाई

ख. अन्य परिपत्रों की सूची जिन से अग्रिमों के प्रबंधन से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

क्र.सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि.सं.आईएण्डएल/69/ 12.05.00/1993-94	13.05.1994	बैंकों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - (घोष समिति)
2.	शबैवि.21/12.15.00/1993-94	21.09.1993	बैंकों को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
3.	शबैवि.सं.2420-जे.20/1983-84	02.04.1984	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ियां, निधियों का दुर्विनियोजन, गबन, हड़पना